



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2017/चैत्र 21, 1939

No. 278]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2017/CHAITRA 21, 1939

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 345(अ).—सिनेट वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011 (2012 का 13) की धारा 30 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अध्यादेश, 2012 की उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, अर्थात्: -

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अध्यादेश, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अकादमी" से वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011 (2012 का 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अभिप्रेत है,

(ख) "अधिनियम" से वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011 (2012 का 13) अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन गठित अकादमी का शासी बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

- (ड) "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद" से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन 'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद' के नाम से रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अभिप्रेत है;
- (च) "निदेशक" से अधिनियम की धारा 22 के अधीन नियुक्त अकादमी का निदेशक अभिप्रेत है,
- (छ) "सिनेट" से अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित अकादमी की सिनेट अभिप्रेत है;
- (ज) "उपाध्यक्ष" से शासी बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम और परिनियमों में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम और परिनियमों में क्रमशः दिए गए हैं।

अध्याय-II

बोर्ड, सिनेट, अध्ययन बोर्ड, वित्त समिति और अन्य उप-समितियों की सदस्यता की समाप्ति

3. बोर्ड, सिनेट, अध्ययन बोर्ड, वित्त समिति और अन्य उप-समितियों की सदस्यता की समाप्ति- बोर्ड, सिनेट, अध्ययन बोर्ड, वित्त समिति और अन्य उप-समितियों के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि-
- (i) सदस्य की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, दिवालिया हो जाता है, विकृत चित्त हो जाता है या एक ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वर्णित है;
- (ii) व्यक्तिगत क्षमता में नामित सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, संबंधित बैठक के अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहा है।

अध्याय-III

छात्रों का चयन, प्रवेश और आरक्षण नीति

4. (1) अकादमी छात्रों को निम्नलिखित रूपात्मकता के अनुसार अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अकादमी में प्रवेश देगी, अर्थात्: -
- (क) अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश एक वर्ष में दो बार किया जाएगा, अर्थात् जनवरी और अगस्त माह के दौरान;
- (ख) आवेदकों को अकादमी द्वारा केंद्रित रूप से नियंत्रित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा और प्रवेश या चयन प्रक्रिया आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला विशिष्ट के लिए होगा;
- (ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक प्रवेश और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया आरंभ करेगा;
- (घ) अकादमी, अध्ययन के विशेष और अंतर-विद्याशाखा पाठ्यक्रम को बढ़ाने के लिए कई गाइड के साथ कई संस्थानों में स्थान के लिए व्यष्टी छात्रों को प्रोत्साहित कर सकते हैं;
- (ङ) अकादमी अध्ययन के एक पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों को अध्ययन पाठ्यक्रम का विषय बदलने के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है;
- (च) अकादमी छात्रों को युक्तियुक्त आधार पर पर्यवेक्षक के माध्यम से अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय बदलने हेतु अनुरोध करने की अनुमति दे सकती है;

(छ) उप खंड (च) के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक निम्नलिखित कार्य करेंगे -

- (i) छात्रों के अनुरोध को दोनों विधाशाखाओं के संकायाध्यक्ष के पास अग्रोषण करना;
- (ii) अध्ययन के पाठ्यक्रम में विषय परिवर्तन को अकादमी के कार्यालयों को सूचित करना; तथा

(iii) छात्रों को अध्ययन के बदले हुए पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम और क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके द्वारा अर्जित क्रेडिट को आगे बढ़ाया जा सकता है, के संबंध में संसूचित कराना।

(ज) छात्र मामले निदेशालय की प्रवेश समिति, प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है जिसे हर वर्ष संशोधित किया जा सकता है।

(2) (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संबंधित प्रयोगशाला के निदेशक, प्राप्त आवेदनों की छानबीन के लिए एक जांच समिति गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (i) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संबंधित प्रयोगशाला के निदेशक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, अध्यक्ष के रूप में;
- (ii) चयन के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला से एक ज्येष्ठ सदस्य;
- (iii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा वांछित कोई अन्य सदस्य;
- (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं से एक सदस्य;
- (v) तत्स्थानी संकाय के संकायाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य;
- (vi) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक, संयोजक के रूप में;

(ख) भर्ती किए जाने वाले छात्रों की संख्या और उपयुक्तता परीक्षण या साक्षात्कार के लिए छाँटे गए उम्मीदवारों की संख्या 1:4 और 1:7 के बीच हो सकती है;

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक, छाँटे गए आवेदकों को उपयुक्तता परीक्षण या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए ई-मेल, वेबसाइट, संसूचना के किसी भी अन्य ढंग सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सूचित करेगा;

(घ) परीक्षण या साक्षात्कार के लिए छाँटे गए उम्मीदवारों की सूची को अकादमी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा;

(ङ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला छाँटे गए उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि क्या एक उपयुक्तता परीक्षण आयोजित किए जाने की जरूरत है या नहीं;

(च) यदि, उपयुक्तता परीक्षण आयोजित किया जाता है तो परिणाम परीक्षण के ही दिन घोषित किया जाएगा और साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार अगले लगातार दिनों में आयोजित किया जा सकता है;

(छ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संबंधित प्रयोगशाला के निदेशक साक्षात्कार के संचालन के लिए एक चयन समिति का गठन कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (i) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संबंधित प्रयोगशाला के निदेशक या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में;
- (ii) दो बाहरी विशेषज्ञ;
- (iii) चयन के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला से एक ज्येष्ठ सदस्य;
- (iv) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा वांछित कोई अन्य सदस्य;
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं से एक सदस्य;
- (vi) तत्स्थानी संकाय के संकायाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य;
- (vii) तत्स्थानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक संयोजक के रूप में;

(ज) चयनित उम्मीदवारों की सूची अनुमोदन के लिए संकाय के संकायाध्यक्ष और उसके बाद अनुसमर्थन के लिए सिनेट के पास भेजा जाएगा;

(झ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक चयनित अभ्यर्थियों को सूचित करेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा;

(ञ) सिनेट शैक्षिक सत्र की शुरुआत से पहले चयनित अभ्यर्थियों की सूची का अनुसमर्थन करेगी।

(3) (i) यदि एक अभ्यर्थी सिनेट द्वारा अनुमोदित सुसंगत संकाय या शैक्षिक इकाई द्वारा निर्दिष्ट शर्तों और मानदंड को संतुष्ट करता है, तो ही उसे डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अध्ययन के एक कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा;

(ii) अकादमी, एक उम्मीदवार को किए गए प्रवेश के एक प्रस्ताव को वापस ले सकती है या किसी उम्मीदवार को निष्कासित कर सकती है जिसने अकादमी की ओर से किए गए प्रवेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी तक अकादमी में अध्ययन करने के लिए नामांकन या रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है, जब उम्मीदवार निम्नलिखित में शामिल पाया जाता है-

(क) किसी समय न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो; या

(ख) अकादमी की राय में, मिथ्या कथन किया है या अपने आवेदन के संबंध में तात्विक जानकारी को छुपाया है।

(4) (क) अकादमी प्रवेश प्रक्रिया के पूरा होने के एक माह के भीतर प्रत्येक छात्र को फोटो पहचान पत्र जारी करेगी;

(ख) फोटो पहचान पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल की जाएगी-

(i) छात्र से संबंधित सभी जानकारी, उसके अध्ययन पाठ्यक्रम और अन्य सूचनाओं के साथ एक बारह अंकों की नामांकन संख्या;

(ii) अध्ययन पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी के साथ-साथ कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन, जैसे एम.टेक से एकीकृत पीएचडी; प्राथमिक नोड जिसमें उन्हें संलग्न किया जा रहा है और संकाय में पश्चातवर्ती परिवर्तन, यदि कोई हो; तथा

- (iii) प्रवेश का वर्ष, सत्र (जनवरी या अगस्त), प्रयोगशाला कोड एवं रोल नंबर और अन्य सूचना;
- (ग) एक छात्र को आवंटित नामांकन संख्या उसके अकादमी से सहयोजन की पूरी अवधि को ट्रैक करने में मदद करेगा;
- (घ) नामांकन संख्या -
- (i) अकादमी में छात्र की विशिष्ट पहचान बनेगी और सभी संदर्भों के लिए उपयोग की जाएगी;
 - (ii) परीक्षाओं के परिणाम का पता लगाने, आचरण के अभिलेख, उपस्थिति के अभिलेख, प्रत्यय और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए सहायक होगा;
- (5) अकादमी पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्: -
- (क) अकादमी से विभिन्न विधाशाखाओं में पीएचडी करना चुनने वाले आवेदकों को निर्दिष्ट तारीख के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन भरना होगा;
- टिप्पण 1.-** न्यूनतम पात्रता मानदंड छात्र मामले निदेशालय की प्रवेश समिति द्वारा अवधारित किए जाएंगे;
- टिप्पण 2.-** विज्ञान, इंजीनियरिंग या सामाजिक विज्ञान में किसी आधुनिक या संयोजन अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे;
- टिप्पण 3.-** एक विधिमान्य राष्ट्रीय स्तर अध्येतावृत्ति धारक, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति या विभिन्न आर्थिक सहायता अभिमुखों के ज्येष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति, विज्ञान में खोज के लिए नवाचार प्रेरित अनुसंधान अध्येतावृत्ति या अन्य समतुल्य अध्येतावृत्ति धारक उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा।
- (ख) चयन प्रक्रिया लचीली, पारदर्शी और सभी को समान अवसर देते हुए पूरी तरह से मेरिट आधार पर होगी;
- (ग) छानबीन, छंटाई और चयन प्रयोगशाला स्तर पर किया जाएगा;
- (घ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला, छात्र को समनुदेशित किए जाने वाले परियोजना कार्य के बारे में विनिश्चय करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित कर सकती;
- (ङ) प्रवेश समिति निम्नलिखित कार्य करेगी।-
- (i) प्रयोगशालाओं में स्थानन के साथ सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची संकलन करना;
 - (ii) छात्रों को संसूचित करने के साथ एक प्रति सहयुक्त निदेशक (छात्र मामले) को प्रेषित करना; तथा
 - (iii) ट्यूशन फीस के एकत्रण के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए सहयुक्त निदेशक (प्रशासन और वित्त) को सूचित करना;
- (च) यदि अभ्यर्थियों के आबंटन के पश्चात प्रयोगशालाओं में रिक्तियां विद्यमान रहती हैं तो प्रवेश समिति ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के साथ परामर्श सत्र शुरू कर सकती हैं;
- (छ) अकादमी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में इस परियोजना पर सहायक के रूप में काम कर रहे असाधारण प्रतिभा वाले छात्रों को पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश दे सकती है-
- (i) जिनके पास एक विधिमान्य अध्येतावृत्ति नहीं है या अध्येतावृत्ति व्यपगत हो गई है, या
 - (ii) किन्हीं कारणों से वे अध्येतावृत्ति प्रदान करने वाली परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं पाए गए या परीक्षा नहीं दी परंतु अन्यथा युक्तियुक्त आधार पर अनुसंधान के लिए उच्च क्षमता उपलब्ध है;

- (ज) परियोजना सहायक जिन्हें पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है को इस परियोजना के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता को पूरा करना होगा और छानबीन और चयन समिति समालोचनात्मक रूप से उचित न्यायोचित के साथ विषय और अनुसंधान क्षमताओं में उम्मीदवार के ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे;
- (झ) कोई भी परियोजना सहायक पीएचडी कार्यक्रम के लिए नामांकन करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने इस परियोजना के सहायक के रूप में कम से कम एक वर्ष की रेजीडेंसी पूरी नहीं की है;
- (ञ) अकादमी एक विनिर्दिष्ट प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम के लिए एक ज्येष्ठ अध्येता को प्रवेश दे सकती है;
- (ट) कोई भी ज्येष्ठ अध्येता पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि उसने ज्येष्ठ अध्येता के रूप में कम से कम एक वर्ष की रेजीडेंसी पूरी नहीं की है और उसके अनुसंधान प्रकाशनों की इतनी संख्या उपलब्ध है जितनी की अकादमी उचित समझे;
- (ठ) (i) अकादमी पीएचडी कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से आवेदन आमंत्रित कर सकती है, अर्थात्: -
- (क) वैज्ञानिकों के आवेदन की छानबीन की जाएगी और चयनित सूची में रखे गए अभ्यर्थियों को चयन समिति के समक्ष एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा;
- (ख) चयन समिति समालोचनात्मक रूप से उचित न्यायोचित के साथ विषय और अनुसंधान क्षमताओं में अभ्यर्थी के ज्ञान का मूल्यांकन करेगी;
- (ग) अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे, अर्थात्: -
- (i) उनकी प्राथमिक नियुक्ति वाली प्रयोगशाला से भिन्न, एक अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में एक गाइड या सह-गाइड होना चाहिए;
- (ii) प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रम अंतर-विषयक होना चाहिए; तथा
- (iii) यदि आवश्यक हुआ तो उसे अध्ययन की अंतर-विषयक प्रकृति का न्यायोचित साबित करने के लिए गाइड या सह-गाइड के संस्थान में पाठ्यक्रम सहित एक सेमेस्टर अवश्य बिताना चाहिये;
- (घ) मूल्यांकन को समय समय पर सिनेट के सामने रखा जाएगा।
- (ii) (क) अकादमी पीएचडी कार्यक्रम के लिए उद्योग प्रायोजित छात्रों को प्रोत्साहित करेगी;
- (ख) सिनेट, संकाय के संकायाध्यक्ष की सिफारिश पर उद्योग द्वारा प्रायोजित छात्रों के लिए पाठ्यक्रम आवश्यकताओं की निबंधनों को शिथिल कर सकते हैं।
- (6) (क) अकादमी, इंजीनियरिंग विज्ञान में एम.टेक और एकीकृत एम.टेक-पीएचडी के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर सकती है, जिन्हें इस तरह के कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की घोषणा के बाद अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे;
- (ख) इंजीनियरिंग में स्नातक उपयुक्तता परीक्षण का एक विधिमान्य स्कोर या स्नातक अभिलेख परीक्षा या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (इंजीनियरिंग) या सिनेट द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड के साथ अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति यथा नियत विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के आधार पर इंजीनियरिंग की सुसंगत विद्याशाखा में स्नातक।

- (ग) अभ्यर्थी को अधिकतम दो अधिमान देने का विकल्प होगा और पहले तथा दूसरे अधिमान के आधार पर उनकी छानबीन की जाएगी चयनित में रखे गए अभ्यर्थियों को एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा;
- (घ) प्रवेश समिति चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करेगी और तदनुसार उम्मीदवारों को सूचित करेगी;
- (ङ) किसी भी चयनित उम्मीदवार को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह निर्दिष्ट फीस का भुगतान नहीं कर देता;
- (च) यदि कार्यक्रम में कोई भी रिक्ति उत्पन्न होती है, तो प्रवेश समिति रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के साथ परामर्श सत्र शुरू कर सकती है।
- (7) सिनेट और संबंधित अध्ययन के बोर्ड, मास्टर ऑफ साइंस (अनुसंधान) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रक्रिया और पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं।
- (8) सिनेट और संबंधित अध्ययन के बोर्ड दोहरी डिग्री ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रक्रिया और पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं।
- (9) सिनेट और संबंधित अध्ययन के बोर्ड फिनिशिंग स्कूल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रक्रिया और पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं।
- (10) क्रियाकलाप-वार अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक कैलेंडर नीचे तालिका में निर्दिष्ट किया गया है: -

सारणी

प्रवेश:

(1)	(2)	(3)	(4)
क्रम सं	क्रियाकलाप	अगस्त (वर्तमान वर्ष) और जनवरी (आगामी या अगले वर्ष) सत्र	जनवरी (आगामी या अगले वर्ष) सत्र
1	प्रवेश से संबंधित जानकारी अपलोड करना	अप्रैल के तीसरे शुक्रवार	पूर्व वर्ष के सितम्बर माह के तीसरे शुक्रवार
2	राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन (चयन)	अप्रैल के चौथे सोमवार से बुधवार	सितंबर के चौथे सोमवार से बुधवार
3	ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख	मई का चौथा गुरुवार	अक्तूबर का चौथा गुरुवार
4	छानबीन किए गए अभ्यर्थियों को सूचना भेजना (इलेक्ट्रॉनिक)	31 मई	31 अक्टूबर
5	उपयुक्तता परीक्षण / साक्षात्कार	जून का चौथा सोमवार - जुलाई का दूसरा शुक्रवार	नवम्बर का चौथा सोमवार - दिसंबर का दूसरा शुक्रवार
6	परिणामों की घोषणा (वेबसाइट पर)	जुलाई के तीसरे बुधवार	दिसम्बर के तीसरे बुधवार

टिप्पण - छात्र अग्रिम प्रवेश ले सकते हैं अर्थात् अगस्त, 2017 से शुरू होने वाले सत्र के लिए जुलाई, 2016 में या दिसंबर, 2016 में प्रवेश ले सकते हैं।

नामांकन

(1)	(2)	(3)	(4)
क्रम सं	क्रियाकलाप	जनवरी सत्र	अगस्त सत्र
1	रजिस्ट्रीकरण	जनवरी के दूसरे सोमवार-मंगलवार	अगस्त के दूसरे सोमवार-मंगलवार
2	सत्र का आरंभ	जनवरी के दूसरे शुक्रवार	अगस्त के दूसरे शुक्रवार
3	मध्य सेमेस्टर की परीक्षा	मार्च के दूसरे सप्ताह में (सोमवार से शनिवार)	अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में (सोमवार से शनिवार)
4	सत्र का समापन	मई के पहले शुक्रवार	दिसंबर के पहले शुक्रवार
5	सेमेस्टर अंत की परीक्षा	मई के दूसरे सप्ताह में (सोमवार से शुक्रवार)	दिसंबर के दूसरे सप्ताह में (सोमवार से शुक्रवार)
6	ग्रेड को अंतिम रूप देना	जून के दूसरे शुक्रवार	जनवरी के पहले सोमवार
7	ग्रेड का प्रकाशन	जून के तीसरे शुक्रवार	जनवरी के दूसरे सोमवार

टिप्पण - यदि कैलेंडर वर्ष में उपदर्शित किए गए दिन कोई अवकाश हो जाता है तो उस दिन के क्रियाकलाप को अगले कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

(11) शैक्षिक सत्र और अवकाश - (1) अकादमी शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने और समापन की तारीख तय कर सकते हैं और विभिन्न संकायों और शैक्षणिक इकाइयों के लिए अलग-अलग तारीखों को तय कर सकती है।

(2) अकादमी द्वारा भी वही अवकाश रखे जा सकते हैं जो अवकाश वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय के द्वारा रखे जाएंगे।

(12) (क) अकादमी जाति, वंश, कुलवंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना स्त्री व पुरुष सभी व्यक्तियों के लिए खुली होगी;

(ख) अकादमी महिलाओं, दिव्यांगों, समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करेगी।

5. विदेशी छात्र - (क) अकादमी अपेक्षित अर्हता वाले विदेशी छात्रों को इसके द्वारा प्रस्थापना किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में पूर्णकालिक छात्रों के रूप में प्रवेश दे सकती है।

(ख) प्रवेश पाने के इच्छुक विदेशी छात्र एक विधिमान्य अध्येतावृत्ति, अर्थात् उनका अध्ययन, विज्ञान की तीसरी दुनिया की अकादमी द्वारा समर्थित है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संबंधित प्रयोगशाला के माध्यम से अपने आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(ग) विदेशी छात्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अगर उनका चयन हो जाता है तो ऐसे मामलों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद उनके अध्ययन को प्रायोजित करेगी।

(घ) विदेशी छात्र स्वावलंबी अभ्यर्थी के रूप में भी आवेदन कर सकते हैं और, यदि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें अकादमी को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा।

अध्याय - IV

अध्ययन पाठ्यक्रम

6 (1) अध्ययन पाठ्यक्रम - (क) अकादमी एक स्नातक कार्यक्रम चला सकती है, जो एक पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए आधार बनती है;

(ख) अकादमी इस तरह के विषयों में मास्टर की डिग्री प्रदान कर सकती है जिनमें यह उचित समझे;

(ग) पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्र के पास विज्ञान या प्रौद्योगिकी की विद्याशाखा में से किसी एक में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए;

(घ) अकादमी एकीकृत एम.एससी- पीएचडी कार्यक्रम की प्रस्थापना कर सकती है;

(ङ) बीएससी के पश्चात एकीकृत पीएचडी के लिए विज्ञान या इंजीनियरिंग के किसी भी क्षेत्र में एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए;

(2) (क) शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए -

(i) पाठ्यक्रम, क्रेडिट की संख्या में मापा जाता है; तथा

(ii) एक क्रेडिट का पाठ्यक्रम या तो एक व्याख्यान घंटा प्रति सप्ताह (न्यूनतम चौदह संपर्क घंटे) या एक शिक्षणकाल घंटा प्रति सप्ताह (न्यूनतम चौदह संपर्क घंटे) या दो प्रयोगशाला घंटे प्रति सप्ताह (न्यूनतम अट्ठाईस संपर्क घंटे) या सेमेस्टर की अवधि के दौरान इन सबके संयोजन के बराबर होता है।

(ख) कार्यक्रम के लिए न्यूनतम रेजिडेंसी और कार्यक्रम पूरा करने के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि और विभिन्न कार्यक्रमों में स्नातक स्तर के लिए क्रेडिट अपेक्षाएं निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होगी, अर्थात्: -

सारणी

(1) क्रम सं	(2) कार्यक्रम	(3) क्रेडिट की संख्या						(4) कार्यक्रम में न्यूनतम रेजिडेंसी	(5) पूरा होने की अवधि (वर्षों में)	
		पाठ्यक्रम कार्य	परियोजना प्रस्ताव	पुनरावलोकन लेख	शोध-प्रबंध	सामाजिक कार्यक्रम	कुल		न्यूनतम	अधिकतम
1	एम.टेक	32	-	-	32	-	64	लागू नहीं होता	2	3
2	इंटीग्रेटेड पीएचडी (इंजीनियरिंग)	4 (पीएचडी स्तर)	2	2	शोध-प्रबंध के पूरा होने पर	4	12	लागू नहीं होता	3	4
3	एम.टेक (उद्योग)	32	-	-	32	-	64	परिसर में दो	2	3

	प्रायोजन के साथ)							सेमेस्टर		
4	पीएचडी (विज्ञान)	12	2	2	शोध-प्रबंध के पूरा होने पर	4	20	लागू नहीं होता	4	5
5	पीएचडी (इंजीनियरिंग)	12	2	2	शोध-प्रबंध के पूरा होने पर	4	20	लागू नहीं होता	3	5
6	पीएचडी (उद्योग प्रायोजन के साथ विज्ञान)	8	2	2	शोध-प्रबंध के पूरा होने पर	4	16	परिसर में एक सेमेस्टर	4	5
7	पीएचडी (उद्योग प्रायोजन के साथ इंजीनियरिंग)	12	2	2	शोध-प्रबंध के पूरा होने पर	4	20	परिसर में एक सेमेस्टर	3	5
8	प्रत्यक्ष पीएचडी (विज्ञान)	20	2	2	शोध-प्रबंध के पूरा होने पर	4	28	लागू नहीं होता	4	6
9	प्रत्यक्ष पीएचडी (उद्योग प्रायोजन के साथ विज्ञान)	20	2	2	शोध-प्रबंध के पूरा होने पर	4	28	परिसर में तीन सेमेस्टर	4	6
उन छात्रों के लिए जो प्रत्यक्ष पीएचडी (विज्ञान) के अधीन पीएचडी के लिए अर्हित नहीं हैं।										
10	एमएस (अनुसंधान)	20	2	2	40	-	64	लागू नहीं होता	3	4
11	प्रत्यक्ष पीएचडी (इंजीनियरिंग) उन उम्मीदवारों के लिए जिनके पास निम्नलिखित योग्यता है :									
(ए)	बी.टेक+ गेट/ नेट या बी.टेक या एम.एससी + राष्ट्रीय स्तर अध्येतावृत्ति या	20 (एम.टेक स्तर) + 4 (पीएच	2	2	शोध-प्रबंध के पूरा होने पर	4	32	लागू नहीं होता	5	6

	विश्वविद्यालय में प्रथम रैंक	डी स्तर)								
(ख)	बी.टेक + पीए / सीएसआईआर -एसआरएफ / उद्योग प्रायोजन के रूप में 2 वर्ष का अनुभव	20 (एम.टेक स्तर) + 4 (पीएच डी स्तर)	2	2	शोध-प्रबंध के पूरा होने पर	4	32	लागू नहीं होता	5	6

टिप्पण 1- एकीकृत पीएचडी (इंजीनियरिंग) के प्रयोजन के लिए छात्र को एम.टेक की डिग्री सहित सभी क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

टिप्पण 2- स्नातक की डिग्री के साथ असाधारण अर्हता वाले उम्मीदवार पीएचडी (विज्ञान), पीएचडी (इंजीनियरिंग), पीएचडी (विज्ञान के साथ उद्योग प्रायोजन) और पीएचडी (इंजीनियरिंग के साथ उद्योग प्रायोजन) में पीएचडी कार्यक्रम के लिए सीधे प्रवेश के लिए पात्र होंगे:

परंतु अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से उपसंजात होना होगा और अर्हता प्राप्त करनी होगी और:

परंतु यह और कि छात्र की संबंधित डॉक्टरेट सलाहकार समिति द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार एक अभ्यर्थी प्रवेश के बाद अतिरिक्त क्रेडिट से छूट के लिए पात्र हो सकता है।

टिप्पण 3- "कार्यक्रम में न्यूनतम रेजीडेंसी"; प्रवेश की तारीख से गिना जाता है सिवाय इसके जब छात्र अधिकृत छुट्टी पर है, "कार्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि" छात्र की नामांकन की तारीख से गिना जाता है। संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सी जी पी ए) की गणना छात्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों के आधार पर की जाएगी।

(ग) एकीकृत पीएचडी (इंजीनियरिंग), पीएचडी (विज्ञान), पीएचडी (इंजीनियरिंग), पीएचडी (विज्ञान के साथ उद्योग प्रायोजन), पीएचडी (इंजीनियरिंग के साथ उद्योग प्रायोजन), डायरेक्ट पीएचडी (विज्ञान), डायरेक्ट पीएचडी (इंजीनियरिंग), डायरेक्ट पीएचडी (विज्ञान के साथ उद्योग प्रायोजन) और डायरेक्ट पीएचडी (उद्योग प्रायोजन के साथ इंजीनियरिंग) के लिए आठ अतिरिक्त क्रेडिट पाठ्यक्रम होंगे जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा -

(i) कला पुनरावलोकन, रीतिशास्त्र, सिफारिशों और अन्य विषयों को शामिल करते हुए उच्च सुसंगतता के विषयों का चयन करके एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना है जो पीएचडी शोध-प्रबंध के सार को जमा करने से पहले पूरा किया जाएगा, जिसके दो क्रेडिट होंगे;

(ii) छात्र के विशिष्ट अनुसंधान के क्षेत्र पर एक पुनरावलोकन लेख जो पीएचडी शोध-प्रबंध के सार को जमा करने से पहले पूरा किया जाएगा, जिसके दो क्रेडिट होंगे;

(iii) सामाजिक कार्यक्रम के अधीन, सामाजिक या ग्रामीण मुद्दों के संबंध में एक परियोजना पर छह से आठ सप्ताह का समर्पित कार्य, जो पीएचडी शोध-प्रबंध के सार को जमा करने से पहले पूरा किया जाएगा, जिसके चार क्रेडिट होंगे;

(घ) पीएचडी छात्र के लिए अकादमिक पाठ्यक्रमों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एम.टेक और पीएचडी पाठ्यक्रम, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला में एक व्यापक प्रस्थापना के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है;

(ङ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा एक या एक से अधिक अपेक्षित स्तर के पाठ्यक्रमों की प्रस्थापना की जा सकती है जो कि वृहत् रूप से अनुसंधान के रीतिशास्त्र, तकनीकी रिपोर्ट लेखन, तकनीकी

संचार, मौखिक प्रस्तुतियां, अनुसंधान परियोजनाओं, नैतिकता, प्रयोगशाला सुरक्षा प्रथाओं और उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार अन्य पाठ्यक्रम के पहलुओं को आविष्ट करते हैं;

(च) 1, 2 और 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम अधिकतम क्रमशः 2, 3 और 4 संकाय सदस्यों के द्वारा पढाए जाएंगे;

(छ) यदि एक से अधिक संकाय सदस्य एक पाठ्यक्रम पढा रहे हैं, तो संकाय सदस्यों में से एक पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करेगा और इसकी ग्रेडिंग, पाठ्यक्रम हैंड आउट, शिक्षण संकाय सदस्यों के बीच समन्वय, अपने विषयों के आदेश और उनके शिक्षण एवं अन्य मामलों के लिए जिम्मेदार होगा;

(ज) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक संबंधित संकाय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श से पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करेगी और प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा।

(3) अकादमी सिनेट की सिफारिशों पर विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विधाशाखाओं में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में दो साल के स्नातकोत्तर कार्यक्रम आरंभ कर सकती है।

(4) (i) पीएचडी कार्यक्रम नीचे दिए गए विषयों में किया जाएगा, लेकिन निम्नलिखित संकायों तक ही सीमित नहीं होगा, अर्थात्: -

(क) इंजीनियरिंग विज्ञान;

(ख) जैव विज्ञान;

(ग) रसायन विज्ञान;

(घ) भौतिक विज्ञान;

(ङ) गणितीय और सूचना विज्ञान;

(ii) अकादमी सिनेट की सिफारिश पर ऐसी संख्या में एकीकृत एम.टेक - पीएचडी सहित पीएचडी कार्यक्रम शुरू कर सकती है।

(iii) प्रत्येक पीएचडी छात्र द्वारा पूरा किए जाने वाले आवश्यक शैक्षणिक पाठ्यक्रम अकादमी के मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार, न्यूनतम क्रेडिट अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, डॉक्टरेट सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी और पीएचडी छात्रों को अपने दूसरे सेमेस्टर के अंत तक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की अपनी अपेक्षा को पूरा करना होगा।

(iv) पीएचडी छात्र परियोजना प्रस्ताव लिख कर, पुनरावलोकन लेख और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा पाठ्यक्रम के अपेक्षित स्तर को, पीएचडी शोध-प्रबंध के सार को जमा करने से पहले पूरा करेगा।

(v) सिनेट और संबंधित अध्ययन बोर्ड, दोहरी डिग्री ऑनर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया अवधारित कर सकते हैं जैसा कि वे उचित समझे।

(vi) सिनेट और संबंधित अध्ययन बोर्ड फिनिशिंग स्कूल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया अवधारित कर सकते हैं जैसा कि वे उचित समझे।

7. स्नातकों का नामांकन - (1) (क) डिग्री या डिप्लोमा के लिए अध्ययन के किसी कार्यक्रम में प्रत्येक छात्र को तभी नामांकित किया जाएगा जब वह सिनेट द्वारा अनुमोदित और सुसंगत संकाय या शैक्षिक इकाई द्वारा निर्दिष्ट मापदंड और शर्तों को पूरा करता है।

(ख) प्रत्येक छात्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संबंधित प्रयोगशाला के अध्ययन पाठ्यक्रम की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होंगे:

परंतु पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाली लंबी अनुपस्थिति या अध्येतावृत्ति के निलंबन को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक के माध्यम से तत्स्थानी संकाय के संकायाध्यक्ष को सूचित किया जाएगा।

(ग) अकादमी, रेजीडेंसी की अवधि की उचित गणना के लिए छात्रों की डेटाबेस में प्रविष्टि करेगी और उन छात्रों के लिए डेटाबेस को समुचित रूप से अद्यतन किया जाएगा जिन्होंने वापस नहीं लौटने के आशय के साथ कार्यक्रम छोड़ दिया था।

(घ) सिनेट ऐसे नामांकित या रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के लिए, यदि ऐसा वांछित हुआ तो, कोई विशिष्ट फीस और अवधि जिसके दौरान इस तरह की फीस विधिमान्य रहेगी, विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(ङ) एक व्यक्ति को पाठ्यक्रम, जिसके लिए उसने अकादमी में नामांकन किया था, के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से डिग्री धारण किया हुआ समझा जाएगा।

(2) सह निदेशक (संस्थान मामले और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना) अकादमी के अन्य पदधारियों की मदद से नामांकित या रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के डेटाबेस का रख रखाव करेगा और डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा तथा कालिकत: अद्यतन किया जाएगा।

8 नियंत्रण, पर्यवेक्षण और घटक संस्थाओं के शिक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण- (1) अकादमी की प्रत्येक घटक संस्था अपने क्रियाकलापों के संबंध में निम्नलिखित अभिलेख रखेगा, अर्थात्: -

- (i) अध्ययन के एक विशिष्ट कार्यक्रम में नामांकित सभी छात्रों के प्रवेश रजिस्टर;
- (ii) छात्रों, संकाय और अकादमी के साथ सहयुक्त अन्य कर्मचारियों का उपस्थिति का अभिलेख;
- (iii) परिणामों के रजिस्टर और विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रम में किया गया कालिकत: और सतत निर्धारण;
- (iv) अंतरण और प्रवर्जन का अभिलेख; तथा
- (v) अकादमी के छात्रों के क्रियाकलापों से उत्पन्न किसी भी बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी।

(2) (क) सहयुक्त निदेशक (शैक्षिक) और संकायाध्यक्ष से मिलकर बनी एक समिति अकादमी के हर घटक संस्थान का निरीक्षण करेगी।

(ख) प्रत्येक घटक संस्थान की शैक्षिक क्रियाकलापों का निरीक्षण इसकी लेखा परीक्षा के निम्नलिखित प्रलेखीकरण के आधार पर होगा, अर्थात्: -

- (i) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का संकलन;
- (ii) स्वयं अध्ययन निर्देशिका; तथा
- (iii) कार्यक्रम के पुनरावलोकन की रिपोर्ट

(ग) निरीक्षण एक वर्ष में एक बार या यथा अपेक्षित किया जाएगा।

(3) (क) निरीक्षण समिति, अकादमी के एक घटक संस्थान के निरीक्षण की रिपोर्ट सिनेट को प्रस्तुत करेगी।

(ख) सिनेट के अध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संबंधित प्रयोगशालाओं में अकादमी के क्रियाकलापों की सूचना उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को देंगे।

अध्याय V

परीक्षा

9 परीक्षा - (1) (क) परीक्षा सिंडिकेट और पश्चातवर्ती मूल्यांकन की प्रक्रिया की निगरानी करेगा जो कि सिनेट की एक विशेष प्रयोजन उप-समिति के रूप में कार्य करेगा।

(ख) परीक्षा सिंडिकेट में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- (i) सहयुक्त निदेशक (शैक्षिक) -अध्यक्ष,
- (ii) सहयुक्त निदेशक (छात्र मामले) -सदस्य;
- (iii) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष -सदस्य; तथा
- (iv) एक सह संकायाध्यक्ष, जिसे सचिव के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) परीक्षा सिंडिकेट किसी विशिष्ट परीक्षा अवधि के दौरान यदि आवश्यक हो, सिनेट के अनुमोदन के साथ, अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकती हैं।

(घ) परीक्षा सिंडिकेट निम्नलिखित कार्य करेगी -

- (i) अकादमी के सभी अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी;
- (ii) अकादमी के लिए अग्रिम में परीक्षा कैलेंडर संकलन और प्रकाशित करना;
- (iii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सभी प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में परिनियमों और अध्यादेशों में अवधारित संनियमों का उचित पालन सुनिश्चित किया जा सके;
- (iv) अकादमी के केंद्रीय परीक्षा सर्वर के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करेगा और सर्वर में अंतर्विष्ट सभी डाटा की गोपनीयता बनाए रखेगा;
- (v) परीक्षा की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करना और परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करना; तथा
- (vi) सिनेट और अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देशित इस तरह के अन्य कृत्यों का पालन करना।

(2) (क) अकादमी के संकायाध्यक्ष संबंधित संकायों की परीक्षाओं के लिए प्रधान नियंत्रक अधिकारी के रूप में कृत्य करेंगे और इस संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद या शिकायत को परीक्षा सिंडिकेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) निदेशक परीक्षाओं के लिए अपीलीय प्राधिकारी होगा।

(3) (क) परीक्षा सिंडिकेट संबंधित अध्ययन बोर्ड से परामर्श के पश्चात परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया तैयार करेगा और परीक्षा की प्रक्रिया को अकादमी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(ख) प्रकाशित परीक्षा की प्रक्रिया, परीक्षा सिंडिकेट द्वारा अगली परीक्षा की प्रक्रिया प्रकाशित करने तक विधिमान्य रहेगी।

(4) (क) छात्र ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से, पुनः परीक्षा और पुनः मूल्यांकन के लिए संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष से अनुरोध कर सकते हैं।

(ख) अध्ययन बोर्ड ऑनलाइन आवेदन के लिए एक विनिर्दिष्ट शुल्क तय कर सकता है।

(ग) छात्र एक सेमेस्टर के दौरान अधिकतम दो पाठ्यक्रमों के लिए पुनः परीक्षा या पुनः मूल्यांकन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

(5) (क) पूर्व स्नातक, स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में छात्र के प्रदर्शन को परीक्षाओं और सतत निर्धारण के एक संयोजन के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है,

(ख) सिनेट द्वारा नियुक्त परीक्षकों का बोर्ड निर्धारण का संचालन करेगा;

(ग) स्नातक अनुसंधान डिग्री कार्यक्रमों में छात्रों के प्रदर्शन का परीक्षाओं, सतत निर्धारण, लिखित शोध-प्रबंध और संबंधित विषय वस्तु तथा उनके शोध-प्रबंध पर एक मौखिक परीक्षा के संयोजन के माध्यम से निर्धारण किया जा सकता है,

(घ) एक छात्र किसी डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम में पढ़ाई जारी रख सकता है यदि वह सिनेट द्वारा यथा अनुमोदित, सुसंगत संकाय या शैक्षिक इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है;

(ङ) अकादमी एक छात्र को परीक्षा में शामिल होने के लिए निरर्हित घोषित कर सकती है या एक माँड्यूल के लिए उसके ग्रेड रोक सकती है, अगर-

(i) वह परीक्षा में प्रवेश या माँड्यूल के पूरा होने के लिए सुसंगत संकाय या शैक्षिक इकाई की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा है; या

(ii) वह अकादमी द्वारा दिए गए एक सुस्पष्ट उधार के माध्यम से भिन्न अकादमी का ऋणी है; या

(iii) अध्यादेशों, नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा यथा उपबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा वह इतना निरर्हित घोषित कर दिया जाता है या उसकी ग्रेड पर रोक लगा दी जाती है।

(च) एक छात्र जिसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया है या जिसके एक माँड्यूल के ग्रेड पर रोक लगाई गई है, परीक्षा या माँड्यूल में अनुत्तीर्ण समझा जाएगा;

(छ) सिनेट, अध्यादेशों, नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा यथा उपबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित परिणाम के कारण, किसी छात्र की पूरी या इसके किसी भी भाग की परीक्षा या माँड्यूल का परिणाम रोक सकती है;

(ज) डॉक्टर ऑफ सोशल साइंस, डॉक्टर ऑफ लेटर्स और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री के लिए छात्रों का उनके द्वारा एकत्र किए गए प्रकाशित कार्य के आधार पर निर्धारण किया जाएगा और डिग्री भी अध्यादेशों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार एक मानद आधार पर प्रदान की जा सकती है;

(झ) जब तक विशिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, किसी डिग्री या डिप्लोमा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक छात्र द्वारा प्रस्तुत कार्य, अकादमी या किसी और संस्थान से किसी और डिग्री या डिप्लोमा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए;

(ख) अकादमी एक छात्र को डिग्री या डिप्लोमा प्रदान कर सकती है यदि-

(i) उसने डिग्री या डिप्लोमा के लिए सभी अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है; तथा

(ii) वह अकादमी द्वारा दिए गए एक सुस्पष्ट उधार के माध्यम से भिन्न अकादमी का ऋणी नहीं है।

(ज) सिनेट, लिखित रूप में निम्नलिखित किए गए कारणों से एक डिग्री, डिप्लोमा या अकादमिक पुरस्कार की अपेक्षाओं में से किसी का भी अयीव्यजन कर सकती है;

(ट) किसी भी व्यक्ति को बाध्यकारी कारणों और सिनेट के संकल्प के सिवाय किसी डिग्री, डिप्लोमा या अकादमिक पुरस्कार से वंचित नहीं किया जाएगा;

(6) (क) अकादमी पूरे सेमेस्टर के दौरान क्लास परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, नियतकार्य, सेमिनार या विशेष विषयों पर प्रस्तुति, मध्यावधि और सत्र समापन परीक्षाओं तथा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और पाठ्यक्रम समन्वयक पढाए जा रहे पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया पर विनिश्चय कर सकते हैं;

(ख) सेमेस्टर अंत की परीक्षा में पाठ्यक्रम के लिए निर्धारण अंकों का अधिकतम चालीस प्रतिशत अधिमान होगा;

(ग) विषय की प्रकृति के आधार पर, संकाय खुली या बंद किताब की परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं;

(घ) प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए छात्र कोर्स समन्वयक को प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और प्रयोगशाला कार्य की प्रकृति के आधार पर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक अंत में एक मौखिक परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं;

(ङ) पाठ्यक्रमों के लिए अपनाई जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली निम्न सारणी में यथा विनिर्दिष्ट है, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)
क्रम सं.	ग्रेड अक्षर	प्रदर्शन	अंकीय मूल्य
1.	ए+	अति उत्कृष्ट	10
2.	ए	उत्कृष्ट	9
3.	बी +	बहुत अच्छा	8
4.	बी	अच्छा	7
5.	सी +	उचित	6
6.	सी	खराब	4
7.	एफ	बहुत खराब	2
8.	आई	अधूरा	0
9.	एस	संतोषजनक (पीएचडी शोध-प्रबंध और लेखा परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए)	
10.	एक्स	असंतोषजनक (पीएचडी शोध-प्रबंध और लेखा परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए)	

टिप्पण- ग्रेड अक्षर आई उस छात्र को दी जाएगी जो-

(i) जिसने कक्षाओं में उपस्थित नहीं हुआ है;

(ii) जो परीक्षा में मूल्यांकन करने के लिए अर्हित नहीं है,

पूर्ण पाठ्यक्रम को पुनः पढना होगा।

(च) सेमेस्टर ग्रेड बिंदु औसत और संचयी ग्रेड बिंदु औसत की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र होगा-

सेमेस्टर ग्रेड अंक औसत = { (पाठ्यक्रम क्रेडिट x पाठ्यक्रम ग्रेड का अंकीय मूल्य) का योग }

/ सेमेस्टर में अर्जित कुल पाठ्यक्रम क्रेडिट;

संचयी ग्रेड बिंदु औसत = सभी पास पाठ्यक्रमों में अर्जित संचयी अंक

/ अर्जित संचयी क्रेडिट;

(छ) अक्षर ग्रेड की संक्षिप्त अवधारणा:

$$CGPA = \frac{\text{Summation of } C_i G_i}{\text{Summation of } C_i}$$

टिप्पण 1.- सीआई क्रेडिट बिंदु है और जीआई ग्रेड बिंदु है।

टिप्पण 2.- अक्षर ग्रेड संख्यात्मक निर्वचन का संबंध केवल सेमेस्टर ग्रेड बिंदु औसत और संचयी ग्रेड बिंदु औसत की गणना से है तथा अक्षर ग्रेड एक प्रभावी संख्या के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, एक प्रशिक्षक ने किसी छात्र को बी + ग्रेड प्रदान किया है, तो वह उस पाठ्यक्रम में पूर्ण 8.0 ग्रेड अंक अर्जित करता है। ग्रेड अंक 8.2 या 7.8 नहीं हो सकते। ग्रेड अंक को पाठ्यक्रम की तत्स्थानी क्रेडिट से गुणा किया जाएगा और उसके बाद ऊपर दिए गए सूत्र के आधार पर सेमेस्टर ग्रेड बिंदु औसत और संचयी ग्रेड बिंदु औसत की गणना की जाएगी।

टिप्पण 3.- पाठ्यक्रम में पास होने के लिए ग्रेड ए +, ए, बी +, बी, सी + की सीमा के भीतर होनी चाहिए।

टिप्पण 4. "सी" एक अनुत्तीर्ण ग्रेड है।

टिप्पण 5. प्रशिक्षक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर एक हिस्टोग्राम तैयार करेगा। फिर वह विनिश्चय करेगा कि इस पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम पास अंक क्या होने चाहिए। इसके पश्चात, वह एक सीमा के बारे में विनिश्चय करेगा (उदाहरण के लिए, न्यूनतम+ एक्स अंक, एक्स के छह या सात या आठ अंक होंगे) और इस सीमा को सी + ग्रेड समनुदेशित किया जाएगा, इससे तत्काल ऊपरी सीमा को 'बी' अक्षर ग्रेड समनुदेशित किया जाना चाहिए और इसी तरह आगे समनुदेशित करना चाहिए। यदि प्रशिक्षक देखता है कि वास्तव में हिस्टोग्राम में कोई भी अति उत्कृष्ट नहीं है, तो उसे इस पाठ्यक्रम में छात्रों के उस विशिष्ट बैच के लिए ए + ग्रेड प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षक न्यूनतम पास अंक चुनने के लिए स्वतंत्र है और इसलिए परीक्षाओं या नियतकार्य और पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन के स्तर के आधार पर पास ग्रेड वहाँ मैप किया गया है।

उदाहरण- पूर्ण अंकों को अक्षर ग्रेड पर प्रतिचित्रण करने के समय, भारसाधक अन्वेषक उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्रेड को सुनिश्चित करेगा। एक छात्र अपने वास्तविक अंकों रूप में 55 या 58 (100 में से) अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह घोषित करने की जिम्मेदारी अनुदेशक पर है कि छात्र सी + या सी ग्रेड का है। अनुदेशक 58 अंकों को सी + घोषित करने के लिए स्वतंत्र है और उसे विश्वास है कि छात्र सी + ग्रेड योग्य है। अतः भारसाधक अन्वेषक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ए +, ए और अन्य ग्रेड समनुदेशित करनी होगी।

(ज) एक छात्र को पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में सेमेस्टर ग्रेड अंक औसत > 6.0 और दूसरे सेमेस्टर से एक संचयी ग्रेड बिंदु औसत > 6.5 अर्जित करना होगा और किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ग्रेड अंक 6.0 अर्जित करना होगा।

(झ) पाठ्यक्रम समन्वयक शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार छात्रों के ग्रेड प्रस्तुत करेगा।

(ञ) कार्यक्रम में निरंतर सुधार के लिए छात्रों से प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गोपनीय प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है और पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के आधार पर प्रतिक्रिया फार्म वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के संबंधित समन्वयक द्वारा विकसित किया जाएगा।

(7) (क) प्रत्येक एम.टेक, एमएस (अनुसंधान) या पीएचडी छात्र का वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संबन्धित प्रयोगशाला में अकादमी के संकाय सदस्यों में से कम से कम एक शोध प्रबंध पर्यवेक्षक होगा और किसी भी छात्र के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की उसी प्रयोगशाला से दो से अधिक पर्यवेक्षक नहीं होंगे:

परंतु यदि आवश्यक हो, अकादमी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के बाहर से एक और सह पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है;

(ख) सह पर्यवेक्षक अकादमी का एक संकाय सदस्य हो सकता है या नहीं;

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रत्येक प्रयोगशाला छात्रों की आकांक्षाओं और संकाय सदस्यों के अनुसंधान हित को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए तौर तरीकों को विकसित करेगी;

(घ) एम.टेक या एमएस (अनुसंधान) शोध प्रबंध कार्य के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक, शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक की सिफारिश पर प्रत्येक छात्र के लिए, शोध-प्रबंध मौखिक परीक्षा बोर्ड का गठन करेगा;

(ii) मौखिक परीक्षा बोर्ड में कम से कम तीन सदस्य होंगे, अर्थात्: -

(क) अनुसंधान के उसी क्षेत्र से एक परीक्षक;

(ख) छात्र के अनुसंधान क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र से एक परीक्षक; तथा

(ग) शोध पर्यवेक्षक;

(iii) शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक या समन्वयक मौखिक परीक्षा बोर्ड के संयोजक के रूप में कार्य करेगा;

(iv) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक छात्रों को मौखिक परीक्षा बोर्ड के गठन के संबंध में सूचित करेगा;

(v) छात्रों को चौथे सेमेस्टर के पूरा होने से दो सप्ताह पहले शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक की सिफारिश के साथ शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी;

(vi) शोध-प्रबंध जमा करने की अंतिम स्वीकार्य तारीख चौथे सेमेस्टर के पूरा होने से पंद्रह दिन पहले होगी;

(vii) (क) छात्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक को शोध-प्रबंध की एक प्रति के साथ, अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट रूपविधान में तैयार लगभग दो सौ पचास शब्द का शोध-प्रबंध का सार, मौखिक परीक्षा की संभावित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रस्तुत करेंगे;

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक शोध-प्रबंध की प्रतियों के साथ शोध-प्रबंध का सार मौखिक परीक्षा बोर्ड के पास अग्रेषित करेगा;

(viii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक शोध-प्रबंध के परीक्षकों से शोध-प्रबंध की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर एक छात्र की मौखिक परीक्षा संचालित करेगा;

(ix) छात्रों को मौखिक परीक्षा बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में, मौखिक परीक्षा में मूल रूप से अपने शोध-प्रबंध कार्य को प्रस्तुत करना होगा;

(x) मौखिक परीक्षा की अधिसूचना मौखिक परीक्षा बोर्ड के सदस्यों के साथ परामर्श करके शोध पर्यवेक्षक द्वारा परिचालित की जाएगी;

(xi) यदि कोई छात्र विनिर्दिष्ट समय के भीतर मौखिक परीक्षा में भाग नहीं लेता है, तो उसके कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया समझा जाएगा:

परंतु छात्र, कार्यक्रम में अपने यथापूर्वकरण के लिए लिखित में अध्यक्ष, सिनेट से अनुरोध कर सकते हैं।

(xii) अध्यक्ष, सिनेट कार्यक्रम में यथापूर्वकरण के लिए अनुरोध को सिनेट के समक्ष विचार करने के लिए भेजेगा और यदि सिनेट अनुरोध स्वीकार करता है तो यह उन अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करेगा जो छात्र को डिग्री प्राप्त करने के लिए अवश्य पूरी करनी चाहिए;

(xiii) एक छात्र को मौखिक परीक्षा में पास समझा जाएगा, अगर मौखिक परीक्षा बोर्ड के सभी सदस्य मानते हैं कि छात्र का प्रदर्शन ग्रेड सी+ या इससे ऊपर के ग्रेड के साथ संतोषजनक है जैसा की नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट है:

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)
क्रम सं	अक्षर ग्रेड	प्रदर्शन	अंकीय मूल्य
1.	ए+	अति उत्कृष्ट	10
2.	ए	उत्कृष्ट	9
3.	बी+	बहुत अच्छा	8
4.	बी	अच्छा	7
5.	सी+	उचित	6
6.	एक्स	असंतोषजनक	

(xiv) प्रस्तुति और मौखिक परीक्षा के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर, पुनर्निर्धारित मौखिक परीक्षा में मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के पश्चात, मौखिक परीक्षा बोर्ड केवल एक बार शोध-प्रबंध को फिर से प्रस्तुत करने की सिफारिश कर सकता है;

(xv) मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा सुझाए गए किसी भी उपांतरण या सुधार को शामिल करने के पश्चात, यदि एक शोध-प्रबंध को फिर से प्रस्तुत करने की सिफारिश के साथ अस्वीकृत कर दिया है, तो पुनः प्रस्तुत शोध-प्रबंध या परियोजना की मौखिक परीक्षा मूल मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाएगी, जब तक कि अध्यक्ष, सिनेट द्वारा एक अलग मौखिक परीक्षा बोर्ड को मंजूरी न दे दी गई है;

(xvi) पुनर्निर्धारित मौखिक परीक्षा में, मौखिक परीक्षा बोर्ड छात्र को या तो पास या अनुत्तीर्ण घोषित करेगा और तीसरी मौखिक परीक्षा के लिए कोई सिफारिश नहीं की जाएगी;

(xvii) यदि पुनः प्रस्तुत शोध-प्रबंध को अस्वीकृत कर दिया गया है, तो आगे की कार्रवाई के लिए यह सिनेट को रिपोर्ट किया जाएगा;

(xviii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक मौखिक परीक्षा बोर्ड की सिफारिश संकायाध्यक्ष के पास अग्रेषित करेगा, जो अनंतिम डिग्री के अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिश सिनेट के अध्यक्ष के पास भेजेगा;

(xix) सहयुक्त निदेशक (शैक्षिक) मौखिक परीक्षा के सफल समापन के बाद अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगा;

(xx) सिनेट की पश्चातवर्ती की बैठक में अनुसमर्थन पर, सफल छात्र अकादमी के दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाते हैं।

(8) पीएचडी शोध-प्रबंध कार्य के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) प्रत्येक छात्र के पीएचडी शोध-प्रबंध कार्य की जांच करने के लिए एक डॉक्टरेट सलाहकार समिति होगी।

(ख) जैसे ही शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक को संकायाध्यक्ष की सिफारिश समनुदेशित की जाती है और सिफारिश को सिनेट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक के साथ परामर्श करके, प्रत्येक छात्र के लिए एक डॉक्टरेट सलाहकार समिति का गठन करेगा;

(ग) शोध पर्यवेक्षक के अलावा, डॉक्टरेट सलाहकार समिति में तीन और सदस्य होंगे जिनमें से दो सदस्य पर्यवेक्षक द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एक ही अनुसंधान क्षेत्र से होंगे और एक सदस्य अनुसंधान के अलग क्षेत्र से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(घ) अकादमी के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम क्रेडिट अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरेट सलाहकार समिति प्रत्येक पीएचडी छात्र द्वारा पूरा किए जाने वाले अपेक्षित शैक्षिक पाठ्यक्रम की सिफारिश करेगी;

(ङ) डॉक्टरेट सलाहकार समिति सतत आधार पर अनुसंधान कार्य की प्रगति का पुनरावलोकन करेगी और एक साल में कम से कम एक बार बैठक और अगली कार्रवाई के बारे में परामर्श किया जाएगा;

(च) डॉक्टरेट सलाहकार समिति शोध-प्रबंध जमा करने की तारीख की सिफारिश कर सकती है;

(छ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक, डॉक्टरेट सलाहकार समिति के ब्यौरे की रिपोर्ट संकायाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा और समय-समय पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा;

(ज) डॉक्टरेट सलाहकार समिति के कृत्य और कृत्यों पूरा करने के लिए समय सीमा निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होगी, अर्थात्: -

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)
क्रम सं	डॉक्टरेट सलाहकार समिति की बैठक संख्या	डॉक्टरेट सलाहकार समिति के कृत्य	समय सीमा
1.	(1)	अनुसंधान के विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है, संबोधित करने वाले प्रश्न और अन्य विषय।	तीसरे सेमेस्टर के समाप्त होने से पहले किसी भी समय

2.	(2)	पीएचडी प्रस्ताव को अंतिम रूप देना	व्यापक परीक्षा के छह महीने के दौरान या अंदर
3.	(3)	छात्र की प्रगति की मॉनिटरिंग करना	छठे सेमेस्टर के समाप्त होने से पहले
4.	(4)	पीएचडी विद्वत गोष्ठी	शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने से दो सप्ताह पहले

टिप्पण- डॉक्टरेट सलाहकार समिति की कोई भी दो लगातार बैठक दो महीने के अंतराल के भीतर आयोजित नहीं की जाएंगी।

(9) (क) एक छात्र सफलतापूर्वक न्यूनतम संचयी ग्रेड बिंदु औसत से अधिक के साथ सभी पाठ्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात ही व्यापक परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा;

(ख) व्यापक परीक्षा बोर्ड में डॉक्टरेट सलाहकार समिति के सदस्य तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य जिसने छात्रों का मार्गदर्शन करने की क्षमता प्रदर्शित की है, शामिल होंगे;

(ग) पर्यवेक्षक के प्रस्ताव के आधार पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संबंधित प्रयोगशाला के निदेशक प्रत्येक छात्र के लिए व्यापक परीक्षा बोर्ड का अनुमोदन करेगा, जिसे पश्चातवर्ती में अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष और अकादमी को सूचित किया जाएगा;

(घ) शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक के परामर्श से एक छात्र दूसरे और चौथे सेमेस्टर के बीच में मौखिक व्यापक परीक्षा में उपस्थित हो सकता है और यदि वह छात्र दो प्रयासों में व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसका अनंतिम नामांकन या पीएचडी के लिए रजिस्ट्रीकरण रद्द समझा जाएगा:

परंतु छात्र एमएस (अनुसंधान) के लिए अयोग्य नहीं होगा, अगर वह एमएस (अनुसंधान) की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरने के लिए तैयार है।

(ङ) व्यापक परीक्षा में छात्र द्वारा प्रस्तुति के बाद कठोर मौखिक परीक्षा शामिल होगी;

(च) व्यापक परीक्षा बोर्ड छात्र को "उत्तीर्ण" या "अनुत्तीर्ण" घोषित कर सकता है;

(10) एक पीएचडी छात्र व्यापक परीक्षा समाशोधन के छह महीने के भीतर, डॉक्टरेट सलाहकार समिति की उपस्थिति में अपने पीएचडी प्रस्ताव को अत्याधुनिक खुली सेमिनार में प्रस्तुत करेगा।;

(11) (क) शोध-प्रबंध को अंतिम रूप देने से पहले, प्रत्येक पीएचडी छात्र, संकाय, छात्रों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला जिसमें उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य किया गया है, के वैज्ञानिकों के समक्ष टिप्पणी और आलोचना प्राप्त करने के लिए एक विद्वत गोष्ठी प्रस्तुत करेगा जिसे उसके शोध-प्रबंध में शामिल किया जाएगा;

(ख) पीएचडी विद्वत गोष्ठी की सूचना डॉक्टरेट सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ परामर्श करके शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक द्वारा परिचालित की जाएगी और विद्वत गोष्ठी की सूचना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के नोटिस बोर्ड पर कम से कम चार दिन पहले प्रदर्शित किया जाएगा;

(ग) शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक के माध्यम से संबंधित संकायाध्यक्ष या सहयुक्त संकायाध्यक्ष और सहयुक्त निदेशक (शैक्षिक) को सूचित करेगा कि पीएचडी विद्वत गोष्ठी दिया जा चुका है;

- (घ) डॉक्टरेट सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात, कि छात्र ने संतोषजनक ढंग से पीएचडी विद्वत गोष्ठी को पूरा कर लिया है, छात्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक को पीएचडी शोध-प्रबंध प्रस्तुत करेगा;
- (ङ) डॉक्टरेट की सलाहकार समिति की सिफारिश पर, छात्र अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट रूपविधान में तैयार शोध-प्रबंध के साथ पीएचडी सार की दो पेपरबैक प्रतियां और कॉम्पैक्ट डिस्क पर एक सॉफ्ट कॉपी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक को प्रस्तुत करेगा;
- (12) (क) पहले एक शोध-प्रबंध परीक्षा बोर्ड, पीएचडी शोध-प्रबंध का मूल्यांकन करेगा और उसके पश्चात पीएचडी शोध-प्रबंध का मूल्यांकन एक मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा;
- (ख) तत्स्थानी संकाय के संकायाध्यक्ष, पीएचडी शोध-प्रबंध परीक्षा बोर्ड का गठन करेगा जिसमें शोध पर्यवेक्षक के अलावा दो सदस्य होंगे;
- (ग) पीएचडी शोध-प्रबंध परीक्षा बोर्ड का गठन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगा, अर्थात्: (i) शोध प्रबंध पर्यवेक्षक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक के माध्यम से तत्स्थानी संकाय के संकायाध्यक्ष को पीएचडी विद्वत गोष्ठी के तुरंत पश्चात परीक्षकों का एक पैनल प्रस्तुत करेगा, जिसमें सुसंगत क्षेत्र से आठ विशेषज्ञ होते हैं;
- (ii) कोई भी परीक्षक एक ही संस्थान से नहीं होगा;
- (iii) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष वरीयता के क्रम में क्रम संख्यक समनुदेशन द्वारा शोध-प्रबंध परीक्षा बोर्ड का गठन करेगा;
- (iv) संकायाध्यक्ष वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के संबंधित समन्वयक वरीयता के क्रम में परीक्षकों की सूची को सूचित करेगा;
- (घ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक आठ सप्ताह के भीतर शोध-प्रबंध की परीक्षा हेतु पहले दो परीक्षकों से उनकी सहमति के लिए संपर्क करेगा और यदि पहले दो परीक्षकों में से किसी ने भी परीक्षा करने के लिए मना कर दिया तो, सूची में से अगले परीक्षक से शोध-प्रबंध की जांच करने के लिए संपर्क किया जा सकता;
- (ङ) परीक्षक की स्वीकृति प्राप्त होने पर, शोध-प्रबंध की एक प्रति के साथ शोध-प्रबंध का मूल्यांकन प्ररूप परीक्षक द्वारा रिपोर्ट के लिए प्रत्येक परीक्षक को भेज दिया जाएगा;
- (च) जब परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं, डॉक्टरेट सलाहकार समिति अगली कार्रवाई की सिफारिश करेगा जैसे कि मौखिक परीक्षा का आयोजन करने या परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पुनः कार्य की सिफारिश करना;
- (छ) यदि परीक्षकों में से एक शोध-प्रबंध को अस्वीकार कर देता है, तो इसे आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा;
- (ज) यदि दो या दो से अधिक परीक्षक शोध-प्रबंध अस्वीकार करते हैं, तो शोध-प्रबंध को अस्वीकार कर दिया जाएगा;
- (झ) डॉक्टरेट सलाहकार समिति के मूल्यांकन के लिए डॉक्टरेट सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के पश्चात केवल एक बार शोध-प्रबंध को फिर से प्रस्तुत करने की सिफारिश कर सकते हैं;

- (ज) शोध-प्रबंध परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर छात्र, शोध-प्रबंध परीक्षा बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए सभी सुझावों और सुधार शोध-प्रबंध में शामिल करेगा तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक को शोध-प्रबंध की दो जिल्द प्रतियां प्रस्तुत करेगा;
- (ट) शोध-प्रबंध पेपरबैक और कागज का कम से कम उपयोग करने के लिए एक पृष्ठ के दोनों तरफ मुद्रित की जाएगी;
- (ठ) शोध-प्रबंध के मुख्य पृष्ठ पर शोध का शीर्षक, छात्र का नाम, पर्यवेक्षक का नाम, डिग्री का नाम है जिसके लिए शोध-प्रबंध प्रस्तुत किया गया है, अकादमी का प्रतीक चिन्ह तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला का नाम, जहां कार्य किया गया था, होना चाहिए;
- (ड) शोध-प्रबंध परीक्षा बोर्ड के सदस्यों के नामों को मौखिक परीक्षा के सफल समापन तक छात्र से गोपनीय रखा जाएगा: परंतु पीएचडी शोध-प्रबंध का मूल्यांकन पूरा होने पर, शैक्षिक अनुभाग पीएचडी शोध-प्रबंध परीक्षा बोर्ड के सदस्यों के नाम शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक के पास भेजेगा।
- (ढ) (i) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक की सिफारिश पर पीएचडी शोध-प्रबंध मौखिक परीक्षा बोर्ड का गठन करेगा;
- (ii) एक मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए मौखिक परीक्षा बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे, अर्थात्, एक बाहरी सदस्य अधिमानतः शोध-प्रबंध परीक्षकों में से एक, डॉक्टरेट सलाहकार समिति से एक तथा शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक;
- (ण) पीएचडी मौखिक परीक्षा या तो एक खुली परीक्षा होगी या सिर्फ मौखिक परीक्षा बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में संचालित की जा सकती है, जैसा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला उचित समझे;
- (त) पर्यवेक्षक या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक मौखिक परीक्षा बोर्ड के संयोजक होंगे और मौखिक परीक्षा की तारीख तय करेंगे तथा डॉक्टरेट की सलाहकार समिति को तारीख की सूचना देगा;
- (थ) यदि मौखिक परीक्षा बोर्ड के एक सदस्य ने उपस्थित होने के लिए अपनी असमर्थता अग्रिम में सूचित की है या विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सिनेट के अध्यक्ष शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक के परामर्श से एक अनुकल्प नियुक्त कर सकता है;
- (द) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक मौखिक परीक्षा की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले मौखिक परीक्षा बोर्ड के हर सदस्य को शोध-प्रबंध की एक सॉफ्ट प्रति के साथ शोध-प्रबंध परीक्षकों के साथ किया गया पूरा तकनीकी पत्राचार उपलब्ध कराएगा;
- (ध) छात्र अध्यक्ष, सिनेट के अध्यक्ष पूर्व अनुमोदन के साथ मौखिक परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात्, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप, गूगल हैंगआउट और इसी तरह के अन्य साधनों के माध्यम से उपस्थित हो सकता है;
- (न) मौखिक परीक्षा बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा -
- (i) शोध-प्रबंध रिपोर्टों की जांच करना;
 - (ii) जांच करना कि क्या शोध-प्रबंध परीक्षकों द्वारा सुझाए गए आवश्यक उपांतरणों को शामिल किया गया है;
 - (iii) शोध-प्रबंध परीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में छात्रों के जबाब का सार निकालना;
 - (iv) अधिप्रमाणित करना की यह कार्य छात्र द्वारा किया गया है;

- (v) निर्णय करना कि क्या छात्र द्वारा काम की प्रस्तुति और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक हैं; तथा
- (vi) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक के माध्यम से पर्यवेक्षक को मौखिक परीक्षा की एक रिपोर्ट प्रदान करना।
- (प) छात्र मौखिक परीक्षा में पास समझा जाएगा, अगर सभी सदस्यों का, ज्यादा से ज्यादा एक सदस्य को छोड़कर, विचार है कि छात्र का प्रदर्शन संतोषजनक है;
- (फ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के पुस्तकालय में शोध-प्रबंध की एक बाउंड प्रति संग्रह करेगा और शोध-प्रबंध की एक बाउंड प्रति शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक के पास रिकॉर्ड के लिए रहेगी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक रिकॉर्ड हेतु अकादमी के मुख्यालय के लिए अद्यतन कॉम्पैक्ट डिस्क भेजेगा;
- (ब) यदि एक छात्र ने मौखिक परीक्षा पास नहीं की है, तो मौखिक परीक्षा बोर्ड विनिर्दिष्ट करेगा कि क्या-
- (अ) (क) छात्र को मौखिक परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया जा सकता है और पुनः परीक्षा के लिए अनुमानित तारीख विनिर्दिष्ट करेगा;
- (ख) मूल मौखिक परीक्षा बोर्ड, फिर से परीक्षा का संचालन करेगा जब तक एक अलग मौखिक परीक्षा बोर्ड की अध्यक्ष, सिनेट ने अनुमोदित नहीं किया है;
- (ग) पुनः परीक्षा में, जैसा कि अध्यादेश द्वारा प्रदान किया गया है, मौखिक परीक्षा बोर्ड छात्र को पास या अनुत्तीर्ण घोषित करेगा, लेकिन एक तीसरी मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए सिफारिश नहीं करेगा।
- (आ) छात्र अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है;
- (भ) शोध-प्रबंध जमा करने के पश्चात, मौखिक परीक्षा से लेकर पूरी प्रक्रिया आठ से बारह सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी;
- (म) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक मौखिक परीक्षा बोर्ड की सम्पूर्ण रिपोर्ट संकायाध्यक्ष के पास अग्रेषित करेगा, जो अनंतिम डिग्री के अनुमोदन के लिए सिनेट के अध्यक्ष के पास सिफारिश अग्रेषित करेगा;
- (य) सहयुक्त निदेशक (शैक्षिक) मौखिक परीक्षा के सफल समापन के पश्चात अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगा;
- (कक) सिनेट की पश्चातवर्ती की बैठक में अनुसमर्थन पर, सफल छात्र अकादमी के दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है।

अध्याय - VI

जांच निकायों, परीक्षकों और अनुसीमक की शर्तें और नियुक्ति का ढंग और कर्तव्य

10. एम.टेक, एमएस (अनुसंधान) और पीएचडी छात्रों के लिए शोध-प्रबंध पर्यवेक्षकों की नियुक्ति- (1) एम.टेक, एमएस (अनुसंधान) और पीएचडी छात्र के किसी भी समय दो से अधिक पर्यवेक्षक नहीं होंगे।
- (2) एक छात्र के शोध-प्रबंध पर्यवेक्षक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विभिन्न प्रयोगशालाओं में अकादमी के संकाय सदस्यों में से नियुक्त किए जाएंगे।
- (3) यदि संयुक्त पर्यवेक्षक हैं, तो पर्यवेक्षकों में कम से कम एक अकादमी का संकाय सदस्य होगा।

(4) असाधारण परिस्थितियों में अकादमी, पीएचडी छात्रों के सह पर्यवेक्षक के रूप में ज्येष्ठ वैज्ञानिक पद के अकादमी के अन्य संकाय को नियुक्त कर सकती है।

परंतु एक समय में एक छात्र के लिए एक से अधिक सह पर्यवेक्षक नहीं होंगे।

(5) खंड (4) के प्रयोजनों के लिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा नियुक्त एक समकक्ष समूह, जिसके छात्र संबंध रखता है, सह पर्यवेक्षकों की गुणावगुण और अर्हता की सिफारिश डॉक्टरेट सलाहकार समिति या सिनेट के अनुमोदन के लिए अकादमी में अग्रेषित कर सकते हैं।

(6) शोध-प्रबंध जमा होने के पश्चात पर्यवेक्षकों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) यदि पर्यवेक्षकों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया गया है-

(क) एम.टेक या एमएस (अनुसंधान) शोध-प्रबंध तीन महीने से पहले प्रस्तुत नहीं किया जाएगा; तथा

(ख) पीएचडी शोध-प्रबंध इस तरह के परिवर्तन की तारीख से छह महीने पहले प्रस्तुत नहीं किया जाएगा;

परंतु उस विशिष्ट विद्याशाखाके संकायाध्यक्ष यदि संतुष्ट है कि पर्यवेक्षक के बदलने या परिवर्धन के बावजूद छात्र शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए तैयार है तो वह शोध-प्रबंध जमा करने की अवधि का अधित्यण कर सकते हैं,

(8) पीएचडी छात्रों के मामले में यदि पर्यवेक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाता है और एम.टेक या एमएस (अनुसंधान) के छात्रों के मामले में तीन महीने से अधिक की छुट्टी पर चला जाता है, तो सिनेट पर्यवेक्षक और छात्र के परामर्श से एक पर्यवेक्षक या सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगी और यदि ऐसा हुआ, तो पर्यवेक्षकों की संख्या दो से अधिक हो सकती है, अगर एक बाहरी पर्यवेक्षक पहले से ही मौजूद है।

(9) पीएचडी छात्रों के मामले में यदि पर्यवेक्षक कम अवधि की छुट्टी पर जाता है और एम.टेक या एमएस (अनुसंधान) के छात्रों के मामले में तीन महीने से कम अवधि की छुट्टी पर जाता है तो पर्यवेक्षक, छात्रों के डॉक्टरेट सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक को विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं और इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक को अधिसूचित किया जाएगा।

(10) यदि किसी पर्यवेक्षक ने त्यागपत्र दे दिया या सेवानिवृत्त हो गया या अन्यथा अकादमी का एक संकाय सदस्य नहीं रहता है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के निदेशक, छात्र तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला के लिए अकादमी के समन्वयक के परामर्श से एक नए पर्यवेक्षक या सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा जिसे सिनेट द्वारा अनुसमर्थन के लिए संकायाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा।

अध्याय - VII

दीक्षांत समारोह, डिग्री, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करना

11 दीक्षांत समारोह और डिग्री प्रदान करना (1) अकादमी का दीक्षांत समारोह कैलेंडर वर्ष में एक बार सितंबर महीने के दौरान आयोजित किया जाएगा।

(2) (क) अकादमी द्वारा प्रदत्त डिग्री में शामिल हैं, लेकिन निम्न तक ही सीमित नहीं हैं, अर्थात: -

(i) एम.टेक;

(ii) विज्ञान, इंजीनियरिंग या सामाजिक विज्ञान और मानविकी में पीएचडी;

(iii) इंजीनियरिंग में एकीकृत एम.टेक - पीएचडी;

(iv) विज्ञान या इंजीनियरिंग में एकीकृत पीएचडी;

- (v) विज्ञान में एकीकृत एमएससी-पीएचडी;
- (vi) विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान द्वारा एमएस;
- (vii) ऑनर्स दोहरी डिग्री;
- (viii) फिनिशिंग स्कूल में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक या दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा); तथा
- (ix) नए ज्ञान की प्रस्थापना करने वाले क्षेत्रों में डिप्लोमा (लघु अवधि के डिप्लोमा)।

टिप्पण- डिग्री प्रदान करने में, अकादमी, विशिष्ट विद्याशाखा या की गई विशेषज्ञता या प्रदत्त विशिष्टता के अंक और डिग्री के संक्षिप्त नाम सभी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करेगी;

(ख) अकादमी स्नातक डिप्लोमा प्रदान कर सकती है और इस तरह के स्नातक डिप्लोमा देने में, अकादमी सभी सरकारी दस्तावेजों में विशिष्ट विद्याशाखा या की गई विशेषज्ञता और स्नातक डिप्लोमा का संक्षिप्त नाम उपदर्शित करेगी;

(ग) सिनेट समवर्ती डिग्री, डबल डिग्री, संयुक्त डिग्री और संयुक्त डिप्लोमा, किसी भी व्यक्ति को ऐसी डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करना जिसने डिग्री या डिप्लोमा के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है, अनुमोदित करेगी;

12 अकादमी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं, अर्थात्: -

- (i) माइग्रेशन सर्टिफिकेट;
- (ii) प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र;
- (iii) चरित्र प्रमाण पत्र;
- (iv) प्रामाणिक प्रमाण पत्र;
- (v) अनुदेश का माध्यम प्रमाण पत्र;
- (vi) उपस्थिति प्रमाणपत्र;

अध्याय – VIII

कार्मिकों और छात्रों के लिए अनुशासन, आचार संहिता और दंड

13. अनुशासनात्मक और अपीलिय प्राधिकरण - (1) निदेशक, अकादमी के कर्मचारियों और छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।

(2) अध्यक्ष अपीलिय प्राधिकारी होगा जो अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा।

14. कर्मचारियों द्वारा अवचार और उसकी प्रक्रिया - (1) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965, क्रमशः अकादमी के सभी स्थायी, अस्थायी एवं संविदा कर्मचारियों के बीच अनुशासन लागू करने और शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया के लिए लागू होंगे।

(2) अकादमी का कोई भी, स्थायी, अस्थायी और संविदात्मक कर्मचारी कोई अवचार करता है तो उसे निम्नलिखित दंड दिया जा सकता है:

- (क) सेवा समाप्ति; या
- (ख) सेवा से निलंबित कर देना; या
- (ग) एक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं किया जाना; या

(घ) एक गंभीर चेतावनी जारी करना; या

(ई) एक चेतावनी जारी करना;

15. सतर्कता अधिकारी: (1) निदेशक, अध्यक्ष के अनुमोदन से एक सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(2) अकादमी का एक ज्येष्ठ संकाय जो किसी भी तरह से संवेदनशील मामलों अर्थात्, नियुक्ति, उपापन और अकादमी से संबंधित अन्य मामलों से जुड़ा हुआ नहीं है या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या अकादमी प्रणाली के बाहर से एक ज्येष्ठ व्यक्ति जिसे पर्याप्त अनुभव है, को सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(3) सतर्कता अधिकारी अकादमी के कर्मचारियों, स्थायी और अस्थायी दोनों, जो अकादमी की निधि से वेतन प्राप्त करते हैं, के द्वारा ईमानदारी और नैतिकता के अनुपालन की निगरानी करेगा।

16. अकादमी में छात्रों का आचरण-(1) सभी छात्र व्याख्यान, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाओं और अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के विषय से संबंधित अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और कोई भी छात्र पर्याप्त कारणों और पूर्व अनुज्ञा के बिना अकादमी से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(2) खंड (1) के उपबंधों के अधीन, यदि कोई छात्र अनुपस्थित था, तो वह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी प्रयोगशाला लिए अकादमी के समन्वयक को उसकी अनुपस्थिति को उपभर्षित करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध करेगा।

(3) एक पाठ्यक्रम या एक अनुसंधान कार्यक्रम में प्रविष्ट प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित करना होगा -

(i) अकादमी में अपनी पढ़ाई को पूरा करना; तथा

(ii) बाध्यकारी कारणों के अलावा पढ़ाई बीच में बंद नहीं करना और तत्स्थानी संकायाध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना।

(4) अकादमी के सभी छात्र समय-समय पर अकादमी द्वारा निर्दिष्ट आदेश के अनुसार पोशाक पहनेंगे और व्यवहार करेंगे।

(5) अकादमी के सभी छात्र अच्छे आचरण और अर्दली व्यवहार के पालन सहित अनुशासन बनाए रखेंगे।

(6) शक्ति को बनाए रखने और अनुशासन लागू करने की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित कृत्यों को अनुशासनहीनता या अवचार की श्रेणी में माना जाएगा, अर्थात्: -

(क) उपस्थिति की अनियमितता;

(ख) समनुदेशित काम के प्रति उदासीनता;

(ग) छात्रों के बीच अफवाहें फैलाने और झूठा प्रचार कर साथी छात्रों को गुमराह करना;

(घ) जाति, वर्ग, धर्म, कुलवंश और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के रूप में कोई भी कार्य;

(ङ) परिनियमों, अध्यादेशों, आचार संहिता और अकादमी की प्रक्रिया के उपबंधों का उल्लंघन;

(च) अकादमी या इसके घटक स्थापनों से संबंधित संपत्ति का नुकसान या विकरण;

(छ) मिथ्याकरण या अकादमी के दस्तावेज या प्रमाण पत्र या डिग्री, परीक्षाओं या प्रवेश के संबंध में किसी अन्य दस्तावेज या प्रमाण पत्र का दुरुपयोग;

(ज) कपट, बेईमानी, प्रतिरूपण और ऐसे ही अवचार के कार्य,

(झ) मानहानि;

(ञ) कर्मचारियों या अकादमी के संकाय पर हमला;

(ट) अकादमी के किसी भी कार्मिक या छात्र के खिलाफ विद्वेषपूर्ण आशय के साथ या समुचित कारण के बिना शिकायत दर्ज कराना;

(ठ) साहित्यिक चोरी या इससे संबंधित कोई कृत्य;

(ड) अकादमी के शैक्षिक क्रियाकलापों या प्रशासन या अकादमी के एक कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों के निष्पादन में अनुचित हस्तक्षेप या व्यवधान;

(7) अनुशासनहीनता की गंभीरता के आधार पर अकादमी एक छात्र के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है, अर्थात्: -

(क) अकादमी से निष्कासन;

(ख) एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अकादमी या छात्रावास से निकालना;

(ग) अध्ययन पाठ्यक्रम से दो सेमेस्टर की अवधि तक के लिए निलंबन;

(घ) एक छात्र को निम्नलिखित से वंचित करना-

(i) अकादमी के एक छात्र के रूप में तीन साल की अवधि के लिए पुनः प्रवेश के लिए;

(ii) किसी भी अन्य संस्थान में एक छात्र के रूप में प्रवेश;

(iii) अध्ययन पाठ्यक्रम जिसके लिए उसे प्रवेश दिया गया था, में उसके द्वारा किए गए पाठ्यक्रम अध्ययन या कार्य के लिए प्रमाण पत्र या ग्रेड कार्ड;

(ड) डिग्री या डिप्लोमा या परिणाम की वापसी;

(च) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संबंधित प्रयोगशाला के निदेशक को किसी भी समय अध्येतावृत्ति या छात्रवृत्ति वापस लेने के लिए सिफारिश करना;

(छ) सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने से विवंचित करना;

(ज) पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माना;

(झ) गंभीर चेतावनी जारी करना;

(ट) चेतावनी जारी करना;

परंतु इस अध्यादेश में संदर्भित कोई भी शास्ति, एक छात्र को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(8) खंड (7) के प्रयोजनों के लिए, अकादमी जांच कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो, यह निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्: -

(क) शिकायतकर्ता को सुनवाई के लिए बुलाना और उसका बयान अभिलेखित करना;

(ख) छात्र जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उनको कथन दर्ज कराने के लिए बुलाना;

(ग) साक्षियों की सूची बनाना और उन्हें कथन अभिलेखित कराने के लिए बुलाना;

(घ) अन्य व्यक्तियों से कोई साक्ष्य लेना, जो कथित घटना के समय मौजूद थे और घटना को देखा था तथा उनके बयान दर्ज करना;

- (ड) छात्र जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है और शिकायतकर्ता के बीच प्रति-परीक्षा का संचालन कर सकते हैं;
- (च) किसी भी सामग्री का साक्ष्य, जैसे कि ऑडियो या वीडियो टेप या पेपर दस्तावेजों और इस तरह के अन्य सामग्री जो उपलब्ध है, की परीक्षा कर सकती है।

(9) जांच अधिकारी एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा जहां छात्र के खिलाफ विनिर्दिष्ट आरोप लगाया गया है और एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(10) जांच अधिकारी कारण बताओ नोटिस में छात्र जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, की प्रति रक्षा पर विचार करेगा।

(11) जांच अधिकारी एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करेंगे और समुचित शास्ति के लिए निदेशक को सिफारिश करेगा।

(12) सिफारिश के आधार पर, निदेशक शास्ति देगा और छात्र को इसकी सूचना देगा।

(13) व्यथित छात्र अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष शास्ति के विरुद्ध अपील कर सकते हैं।

(14) खंड (8), (9), और (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक छात्र को न्यायालय ने दोषसिद्ध ठहराया है, तो अकादमी सरकारी अभिलेख में इन तथ्यों को प्रविष्ट कर सकती है, अकादमी से उसे निष्कासित या छात्रावास से निस्सारण या डिग्री या डिप्लोमा वापस ले सकती है।

(15) अकादमी इस बात के होते हुए भी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर सकती है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी वह व्यक्ति अकादमी का छात्र नहीं रह गया है:

परंतु अनुशासनात्मक कार्यवाही को उत्पन्न करने वाली ये परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हुईं, जबकि वह व्यक्ति अकादमी का एक छात्र था या अकादमी में अध्ययन के एक कोर्स के लिए व्यक्ति के प्रवेश से संबंधित था।

17. छात्र की अनुशासनहीनता - एक छात्र के खिलाफ अनुशासनहीनता के सभी आरोपों को सहयुक्त निदेशक (छात्र मामले) को भेजा जाएगा और प्रत्येक मामले में निदेशक के निर्देश पर अकादमी द्वारा नियुक्त इस तरह के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी।

18. रैगिंग और यौन उत्पीड़न के लिए शास्ति - (1) अकादमी के छात्र इस तरह से व्यवहार करेंगे जो कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करता हो।

(2) कोई भी छात्र अकादमी या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं, सम्पदा, कालोनियों, परिसर में से किसी में भी रैगिंग में शामिल नहीं होंगे और यदि कोई छात्र रैगिंग में अन्तर्वर्लित है तो उसे अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। परंतु किसी भी छात्र को सुनवाई का एक अवसर दिए बिना निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(3) एक छात्र जो किसी भी यौन उत्पीड़न में अन्तर्वर्लित है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन के बाद उसे अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा।

[फा. सं. 6/1 / सीएसआईआर-एसीएसआईआर / 2012-13 / पीपीडी]

के.आर. वैधीस्वरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Scientific and Industrial Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2017

G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 30 of the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012) and in supersession of the Academy of Scientific and Innovative Research Ordinances, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Senate hereby makes the following Ordinances for the Academy of Scientific and Innovative Research, namely:-

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. **Short title and commencement.-** (1) These Ordinances may be called the Academy of Scientific and Innovative Research Ordinances, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.-** (1) In these Ordinances, unless the context otherwise requires,-
 - (a)“Academy” means the Academy of Scientific and Innovative Research established under sub-section (1) of section 3 of the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012);
 - (b)“Act” means the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012);
 - (c)“Board” means the Board of Governors of the Academy constituted under sub-section (1) of section 11 of the Act;
 - (d)“Chairperson” means the Chairperson of the Board appointed under sub-section (1) of section 12 of the Act;
 - (e)“Council of Scientific and Industrial Research” means a society registered by the name of the Council of Scientific and Industrial Research under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
 - (f) “Director” means the Director of the Academy appointed under section 22 of the Act;
 - (g)“Senate” means the Senate of the Academy constituted under section 18 of the Act;
 - (h)“Vice Chairperson” means the Vice Chairperson of the Board of Governors.
 - (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act and the Statutes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Statutes.

CHAPTER – II

TERMINATION OF MEMBERSHIP OF BOARD, SENATE, BOARD OF STUDIES, FINANCE COMMITTEE AND OTHER SUB-COMMITTEES

3. Termination of Membership of Board, Senate, Board of Studies, Finance Committee and other sub-committees.- A member of the Board, Senate, Board of Studies, Finance Committee and other sub-committees shall cease to be such member, if-
 - (i) the member dies, resigns, becomes insolvent, becomes unsound mind or convicted of a criminal offence involving moral turpitude;
 - (ii) the member nominated in personal capacity, who is not *ex officio* fails to attend three consecutive meetings without prior information to the Chairman of the meeting concerned.

CHAPTER-III

SELECTION OF STUDENTS, ADMISSION AND RESERVATION POLICY

4. (1) The Academy shall admit students into the Academy for different courses of studies according to the following modalities, namely:-
 - (a) admission to courses of studies shall be done twice a year, that is, during January and August;
 - (b) applicants shall be admitted through online application process controlled centrally by the Academy and the admission or selection process shall be Council of Scientific and Industrial Research laboratory specific as per the options provided by the applicant;
 - (c) the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall initiate the processes of admission and screening;
 - (d) the Academy may encourage individual students for placement in multiple institutions with multiple guides to enhance specialised and inter-disciplinary courses of study;
 - (e) the Academy may allow the students admitted to a course of study to change the stream of course of study;
 - (f) the Academy may allow the student to request, through the Supervisor, for changing the stream of course of study on reasonable grounds;
 - (g) for the purposes of sub-clause (f), the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall-

- (i) forward the request of the student to the Deans of both the disciplines;
 - (ii) inform the change of stream of course of study to the offices of the Academy; and
 - (iii) communicate the student to fulfill the course and credit requirements of the changed course of study and the credits earned by him may be carried forward.
- (h) the admission committee of the Directorate of Student Affairs may issue guidelines to complete the admission procedure that may be revised annually.
- (2) (a) The Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall constitute a screening committee to screen the received applications, which shall consist of-
- (i) Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research or his nominee as the Chairman;
 - (ii) one 1 Senior member from the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research in the area of selection;
 - (iii) any other member as desired by the Director of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
 - (iv) one member from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Minority Communities and Women;
 - (v) nominee of the Dean of the corresponding faculty;
 - (vi) the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research as the convener;
- (b) The number of students to be enrolled and the number of candidates screened for the aptitude test or interview may be between 1:4 and 1:7;
- (c) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall intimate the screened applicants, to appear for aptitude test or interview by electronic media including e-mails, website notice or any other mode of communication;
- (d) The list of screened candidates called for test or interview shall be displayed on the website of the Academy and the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
- (e) The laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research may decide whether an aptitude test needs to be held depending on the number of screened candidates;
- (f) In case, aptitude test is conducted, the result shall be declared on the same day as of the test, and interview may be held in the next consecutive days, depending on the number of candidates called for interview;
- (g) The Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research may constitute a selection committee to conduct the interview, which shall consist of-
- (i) Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research or his nominee as the Chairman;
 - (ii) two external experts;
 - (iii) one Senior member from the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research in the area of selection;
 - (iv) any other member as desired by the Director of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
 - (v) one member from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Minority Communities and Women;
 - (vi) nominee of the Dean of the corresponding faculty;
 - (vii) the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research as the convener;
- (h) The list of selected candidates shall be forwarded to the Dean of the corresponding faculty for approval and thereafter to the Senate for ratification;
- (i) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall intimate the selected candidates and display the same on its website;

- (j) The Senate shall ratify the list of selected candidates before the beginning of the academic session.
- (3) (i) A candidate shall be admitted to a programme of study leading to the award of a degree or diploma only if he satisfies the conditions and criteria specified by the relevant faculty or academic unit, as approved by the Senate;
- (ii) The Academy may, withdraw an offer of admission made to a candidate, or expel a candidate who has accepted an offer of admission from the Academy but has yet to enroll or register to study at the Academy, where the candidate has-
- (a) at any time, been convicted of an offence by a court of law; or
- (b) in the opinion of the Academy, made a false statement or has withheld material information in connection with his application.
- (4) (a) The Academy shall issue photo-identity card to every student within one month of completion of the admission process;
- (b) The photo-identity card shall bear-
- (i) all information relating to the student, his course of study, and other information along with a twelve-digit enrolment number;
- (ii) the information relating to course of study along with any transition in programme, namely, M.Tech to Integrated Ph.D; primary node in which he is being attached and subsequent change in faculty, if any; and
- (iii) year of admission, session (January or August), laboratory code and the roll number and other information;
- (c) The enrolment number allotted to a student shall help to track his or her entire duration of association with the Academy;
- (d) The enrolment number shall-
- (i) form the unique identification of the student in the Academy and shall be used for all references;
- (ii) be helpful to trace the results of examinations, record of conduct, record of attendance, credits and other matters connected thereto;
- (5) The Academy shall follow the following procedures of admission for Ph.D Programme, namely:-
- (a) the applicant opting for Ph.D with the Academy in various disciplines shall fill up his online application within the specified dates;
- Note 1.- The minimum eligibility criteria shall be determined by the admission committee of the Directorate of Student Affairs;
- Note 2.- The candidate with any basic or combination of qualification in Science, Engineering or Social sciences shall be eligible to apply;
- Note 3.- Weightage shall be given to candidate having a valid national level fellowship, junior research fellowship or senior research fellowship of various funding agencies, innovation in science pursuit for inspired research fellowship or other equivalent fellowships.
- (b) the selection process shall be flexible, transparent and completely merit based giving equal opportunity to all;
- (c) the screening, shortlisting and selection shall be done at the laboratory level;
- (d) the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research may evolve a procedure to decide on the project work the student may be assigned;
- (e) the admission committee shall-
- (i) compile a final list of successful candidates, along with placement to the laboratories;
- (ii) communicate the students along with a copy to Associate Director (Student Affairs); and
- (iii) communicate the Associate Director (Administration and Finance) for initiating the process for collection of tuition fees;
- (f) if vacancies exist in the laboratories after allotment of candidates, the admission committee may undertake counseling session with wait-listed candidates to fill up such vacancies;

- (g) the Academy may give admission to exceptionally bright students working as project assistants in laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research for Ph.D programme-
- (i) who do not have a valid fellowship either because the fellowship lapsed; or
 - (ii) who have not been qualified or appeared in the examination that offer fellowship due to some reasons but are otherwise found to have high potential for research, based on reasonable grounds;
- (h) the project assistants who are being admitted to Ph.D programme shall fulfill the educational qualification as required for the project and the screening and selection committee shall evaluate the knowledge of the candidate in the subject and research capabilities critically with proper justification;
- (i) no project assistant shall be eligible for enrolment for Ph.D programme unless he has minimum one year residency as project assistant;
- (j) the Academy may give admission to a senior research fellow for the Ph.D programme after going through a specified admission procedure;
- (k) no senior research fellow shall be eligible for enrolment for Ph.D programme unless he has minimum one year residency as senior research fellow and has such number of research publications as the Academy deems fit;
- (l) (i) the Academy may call for applications from scientists of the Council of Scientific and Industrial Research for Ph.D programme subject to the following conditions, namely:-
- (a) the application of the scientists shall be screened and the shortlisted candidates shall appear for an interview before selection committee;
 - (b) the selection committee shall evaluate the knowledge of the candidates in the subject and the research capabilities critically with proper justification;
 - (c) the candidates shall fulfill the following criteria, namely:-
 - (i) he must have a guide or co-guide in another reputed institution, other than his primary appointing laboratory;
 - (ii) the proposed research programme should be interdisciplinary; and
 - (iii) he must spend one semester in the institute of the guide or co-guide including course work, if necessary, to justify the interdisciplinary nature of the study;
 - (d) the evaluation shall be placed before the Senate from time to time.
- (ii) (a) the Academy shall encourage industry sponsored students for Ph.D programme;
- (b) the Senate may relax the terms of the course requirements for the industry sponsored students on the recommendation of the Dean of the faculty.
- (6) (a) The Academy may invite applications from the candidates for the M.Tech and integrated M.Tech-Ph.D in Engineering Science who shall submit their applications online against announcement of admission for such programmes;
- (b) The candidates should be graduates in the relevant discipline of engineering depending on the specific programme as stipulated by the admission committee, with a valid score of graduate aptitude test in engineering or graduate record examination or national eligibility test (engineering) or any other criteria as specified by the Senate.
- (c) The candidate shall have the option of giving a maximum of two preferences and shall be screened based on the first and second preferences and the short-listed candidates shall be required to appear for an interview;
- (d) The admission committee shall prepare the final list of selected candidates and inform the candidates accordingly;
- (e) No selected candidate shall be admitted to the programme unless he paid the specified fee therefor;
- (f) If any vacancy arises in the programme, the admission committee may undertake counseling sessions with wait-listed candidates to fill up the vacancies.
- (7) The Senate and the respective Board of Studies may decide the procedure and eligibility criteria for admission to the course of Master of Science (Research).

- (8) The Senate and the respective Board of Studies may decide the procedure and eligibility criteria for admission to the Dual Degree Honours course.
- (9) The Senate and the respective Board of Studies may decide the procedure and eligibility criteria for admission to the Finishing School course.
- (10) The activity-wise academic calendar for the course of studies shall be as specified in Table, below:-

TABLE

Admission:

(1)	(2)	(3)	(4)
Sl. No	Activity	August (Current year) and January session (following or next year)	January (following or next year) session
1.	Uploading admission related information	3 rd Friday of April	3 rd Friday of September previous year
2.	Advertisement in National Dailies (Select)	4 th Monday to Wednesday of April	4 th Monday to Wednesday of September
3.	Last date for online submission	4 th Thursday of May	4 th Thursday of October
4.	Intimation to screened candidates (electronic)	31 st May	31 st October
5.	Aptitude Test/Interview	4 th Monday of June –2 nd Friday of July	4 th Monday of November – 2 nd Friday of December
6.	Declaration of results (on the web)	3 rd Wednesday of July	3 rd Wednesday of December

Note.- Students may take advance admission, that is, for the session starting from August, 2017, in July, 2016 or in December, 2016.

Enrolment

(1)	(2)	(3)	(4)
Sl. No	Activity	January session	August session
1.	Registration	2 nd Monday–Tuesday of January	2 nd Monday–Tuesday of August
2.	Commencement of Session	2 nd Friday of January	2 nd Friday of August
3.	Mid Semester Examination	2 nd week of March (Monday to Saturday)	2 nd week of October (Monday to Saturday)
4.	Completion of Session	1 st Friday of May	1 st Friday of December
5.	End Semester Examination	2 nd Week of May (Monday to Friday)	2 nd Week of December (Monday to Friday)
6.	Finalisation of grades	2 nd Friday of June	1 st Monday of January
7.	Publication of grades	3 rd Friday of June	2 nd Monday of January

Note.- If any of the days indicated in the calendar year happens to fall on a closed holiday, the activity may be done on the next working day.

- (11) Academic Sessions and Holidays.- (1) The Academy may fix the dates for the opening and closing of academic sessions and may fix different dates for different faculties and academic units.

- (2) The Academy may observe the same holidays as observed by the Council of Scientific and Industrial Research Headquarters.
- (12) (a) The Academy shall be open to all persons, of either sex, irrespective of caste, creed, race or class;
- (b) The Academy shall make special provisions for admission of women, persons with disabilities, persons belonging to the weaker sections of the society and in particular, of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other socially and educationally backward classes of citizens in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
5. Overseas Students.- (a) The Academy may admit overseas students with the required qualification as full time students for pursuing the various programmes offered by it.
- (b) The overseas students seeking admission may send their applications through the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research having a valid fellowship, namely, third world academy of sciences to support their study.
- (c) The overseas students may apply through Indian Council for Cultural Relations, New Delhi and in such cases, if they are selected, the Indian Council for Cultural Relations shall sponsor their studies.
- (d) The overseas students may also apply as self-supporting candidates and, if they are selected, shall have to pay the required fees to the Academy.

CHAPTER- IV COURSE OF STUDY

6. (1) Course of study-(a) The Academy may run a graduate programme, which leads to awarding of a Ph.D degree;
- (b) The Academy may offer Master's degrees in such subjects as it deems fit;
- (c) For admission in Ph.D programmes, one should have a Master's degree in any of the Science or Technology disciplines;
- (d) The Academy may offer an integrated M.Sc.-Ph.D programme;
- (e) For post B.Sc. integrated Ph.D, one should have a Bachelor's degree in any field of Science or Engineering;
- (2) (a) For the purposes of academic requirements,-
- (i) course work is measured in number of credits; and
- (ii) course of one credit is equivalent either to one lecture hour per week (minimum fourteen contact hours) or one tutorial hour per week (minimum fourteen contact hours) or two laboratory hours per week (minimum twenty-eight contact hours) or a combination thereof for the duration of the semester.
- (b) The minimum residency in programme and minimum and maximum period of completion for programme, and the credit requirements for graduation in the various programmes shall be as specified in the following Table, namely:-

TABLE

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	
Sl. No.	Programme	Number of credits						Minimum residency in programme	Period of completion (in years)	
		Course work	Project Proposal	Review Article	Thesis	Societal Programme	Total		Minimum	Maximum
1.	M.Tech	32	--	--	32	--	64	Not applicable	2	3
2.	Integrated Ph.D (Engineering)	4 (Ph.D level)	2	2	Completion of thesis	4	12	Not applicable	3	4
3.	M.Tech (with Industry)	32	--	--	32	--	64	2 semesters	2	3

	Sponsorship)							on campus		
4.	Ph.D (Sciences)	12	2	2	Completion of thesis	4	20	Not applicable	4	5
5.	Ph.D (Engineering)	12	2	2	Completion of thesis	4	20	Not applicable	3	5
6.	Ph.D (Sciences with Industry Sponsorship)	8	2	2	Completion of thesis	4	16	1 semester on campus	4	5
7.	Ph.D (Engineering with Industry Sponsorship)	12	2	2	Completion of thesis	4	20	1 semester on campus	3	5
8.	Direct Ph.D (Sciences)	20	2	2	Completion of thesis	4	28	Not applicable	4	6
9.	Direct Ph.D (Sciences with Industry Sponsorship)	20	2	2	Completion of thesis	4	28	3 semesters on campus	4	6
<i>For students not qualified for Ph.D under Direct Ph.D (Sciences)</i>										
10.	M.S (Research)	20	2	2	40	--	64	Not applicable	3	4
11.	Direct Ph.D (Engineering) for candidates with:									
(a).	B.Tech + Gate/NET or B.Tech or M.Sc + National level fellowship or 1 st Rank in University	20 (M.Tech level) + 4 (Ph.D level)	2	2	Completion of thesis	4	32	Not applicable	5	6
(b).	B.Tech + 2 Year experience as PA/CSIR-SRF/ Industry Sponsorship	20 (M.Tech level) + 4 (Ph.D level)	2	2	Completion of thesis	4	32	Not applicable	5	6

Note 1.- For the purposes of Integrated Ph.D (Engineering), the student must complete all the credit requirements including those for M.Tech degree.

Note 2.- For Ph.D (Sciences), Ph.D (Engineering), Ph.D (Sciences with Industry sponsorship) and Ph.D (Engineering with Industry sponsorship) candidate with exceptional qualification with Bachelor's degree shall be eligible for direct admission to the Ph.D programme:

Provided that the candidate shall have to appear and qualify through the admission process:

Provided further that a candidate may be eligible for exemption from additional credits as decided by the respective Doctoral Advisory Committee of the student after admission.

Note 3.- "Minimum residency in programme" is counted from the date of admission except when the student is on authorised leave; "maximum period for completion" is counted from the student's date of enrolment. Cumulative Grade Point Average shall be calculated on the basis of all courses taken by the student.

(c) For the Integrated Ph.D (Engineering), Ph.D (Sciences), Ph.D (Engineering), Ph.D (Sciences with Industry Sponsorship), Ph.D (Engineering with Industry Sponsorship), Direct Ph.D (Sciences), Direct Ph.D (Engineering), Direct Ph.D (Sciences with Industry Sponsorship) and Direct Ph.D (Engineering with Industry Sponsorship), there shall be following eight additional credit course which shall consist of-

- (i) one project proposal to be prepared by selecting topics of high relevance comprising state-of-the-art review, methodologies, recommendations, and other topics, which shall be completed before the submission of synopsis of Ph.D thesis, which shall carry two credits;
- (ii) one review article on specific research area of the student, which shall be completed before the submission of synopsis of Ph.D thesis, which shall carry two credits;
- (iii) six to eight weeks dedicated work on a project concerned with societal or rural issues under societal programme, which shall be completed before the submission of synopsis of Ph.D thesis, which shall carry four credits;

- (d) M.Tech and Ph.D courses may be listed for a comprehensive offering at the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research for the Ph.D student to fulfill the requirement of the academic courses;
- (e) One or more required level of courses may be offered by each laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research that broadly cover aspects of research methodologies, technical report writing, technical communications, oral presentations, research projects, ethics, laboratory safety practices, and other courses as per their needs and requirements;
- (f) Courses of 1, 2 and 3 credits shall be taught by a maximum of 2, 3 and 4 faculty members, respectively;
- (g) If more than one faculty member is teaching a course, one of faculty members shall act as the course-coordinator and shall be responsible for its grading, course hand-out, coordination among its teaching faculty members, order of topics and their teaching, and other matters;
- (h) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research in consultation with the concerned faculty members shall conduct a review of the courses and receive feedback from the students at the end of each semester.
- (3) The Academy may introduce two-year post graduate programmes at laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research in different disciplines of science and engineering on the recommendations of the Senate.
- (4) (i) The Ph.D programme shall be under, but not limited to, the following faculties, namely:-
- (a) Engineering Sciences;
 - (b) Biological Sciences;
 - (c) Chemical Sciences;
 - (d) Physical Sciences;
 - (e) Mathematical and Information Sciences;
- (ii) The Academy may introduce such number of Ph.D programmes including integrated M.Tech-Ph.D on the recommendation of the Senate.
- (iii) The academic courses required to be completed by each Ph.D student shall be recommended by the doctoral advisory committee keeping in view the minimum credit requirement in accordance with the guidelines of the Academy, and the Ph.D students shall complete their requirement of academic courses by the end of their second semester.
- (iv) The Ph.D student shall complete the required level of course by writing the project proposal, review article and societal programme before the submission of synopsis of Ph.D thesis.
- (v) The Senate and the respective Board of Studies may determine the procedure for admission to Dual Degree Honours courses as they deem fit.
- (vi) The Senate and the respective Board of Studies may determine the procedure for admission to the Finishing School Courses as they deem fit.
- 7. Enrolment of Graduates.-** (1) (a) Every student shall be enrolled in a programme of study leading to the award of a degree or diploma only if he satisfies the conditions and criteria specified by the relevant faculty or academic unit, as approved by the Senate.
- (b) Every student shall attend the classes of course of study of the respective laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research regularly:
Provided that, long absence affecting course work or suspension of fellowship, shall be reported to the Dean of the corresponding faculty through the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research.
 - (c) The Academy shall make entry in the database for students for proper calculation of the period of residency and the database shall be appropriately updated for those students who would quit the programme with no intention to return.
 - (d) The Senate may specify any specific fee and the period over which such fee shall remain valid, if so desired, for such enrolled or registered graduates.

- (e) A person shall be deemed to hold a degree with effect from the date of publication of the result of the course he had been enrolled for, in the Academy.
- (2) The Associate Director (Institute Affairs and Information and Communications Technology Infrastructure) shall maintain the database of the enrolled or registered graduates with the help of other officials of the Academy and the database shall be made available online and shall be periodically updated.
- 8. Control, Supervision and Inspection of Teaching Programmes of Constituent Institutions.-** (1) Every constituent institution of the Academy shall maintain the following records in relation to its activities, namely:-
- (i) admission register of all the students enrolled in a particular programme of study;
 - (ii) attendance records of the students, faculty and other employees associated with the Academy;
 - (iii) register of results and periodical and continuous assessment carried out in various courses of study;
 - (iv) record of transfer and migration; and
 - (v) information about any intellectual property generated out of the activities of the students of the Academy.
- (2) (a) A committee consisting of the Associate Director (Academic) and the Deans shall inspect every constituent institute of the Academy.
- (b) The inspection of the academic activities at each of the constituent institute shall base its audit on the following documentations, namely:-
- (i) compilation of teaching and training materials for various programmes;
 - (ii) the self-study manual; and
 - (iii) reports of the programme reviews
- (c) Inspection shall be made once a year or as required.
- (3) (a) The inspection committee shall submit the report of the inspection of a constituent institute of the Academy to the Senate.
- (b) The Chairperson, Senate shall intimate the activities of the Academy at the respective laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research to the Vice Chairperson and the Chairperson.

CHAPTER- V EXAMINATIONS

- 9. Examinations.-** (1) (a) The examination syndicate shall oversee the examination and the subsequent evaluation process which shall function as a special-purpose sub-committee of the Senate.
- (b) The examination syndicate shall consist of-
- (i) Associate Director (Academic)- Chairperson;
 - (ii) Associate Director (Student Affairs)- Member;
 - (iii) Deans of all the faculties- Members; and
 - (iv) One Associate Dean, who shall be nominated as Secretary.
- (c) The examination syndicate may co-opt other members during any particular examination term, if necessary, with the approval of the Senate.
- (d) The examination syndicate shall-
- (i) oversee the examination process for all the courses of studies of the Academy;
 - (ii) compile and publish the examination calendar for the Academy in advance;
 - (iii) coordinate with all the laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research so as to ensure proper adherence of norms laid down in the statutes and ordinances with respect to the examination process;
 - (iv) be the custodian for the central examination server of the Academy and shall maintain confidentiality of all data contained in the server;

- (v) complete the evaluation process within forty-five days from the date of examination and publish result of the examination; and
 - (vi) perform such other functions as may be directed by the Senate and the Boards of Studies from time to time.
- (2) (a) The Deans of the Academy shall function as the principal controlling officers for examinations for the respective faculties and shall place before the examination syndicate any matters of disputes or grievances which arise therefrom.
- (b) The Director shall be the appellate authority for the examinations.
- (3) (a) The examination syndicate shall frame the procedure for operating the examination process in consultation with the respective Boards of Studies and the examination process shall be published on the website of the Academy.
- (b) The examination process published shall remain valid till a next examination process is published by the examination syndicate.
- (4) (a) A student may request the Dean of respective faculty for re-examination and re-evaluation, through online application.
- (b) The Board of Studies may fix a specified fee for online application.
- (c) A student may request for re-examination or re-evaluation for a maximum of two courses during a given semester.
- (5) (a) The performance of a student in undergraduate, graduate degree and graduate diploma programmes may be assessed through a combination of examinations and continuous assessment;
- (b) The Board of Examiners appointed by the Senate shall conduct the assessment;
- (c) The performance of student in graduate research degree programmes may be assessed through a combination of examinations, continuous assessment, a written thesis, and an oral examination on their thesis and related subject matter;
- (d) A student may continue in a degree or diploma programme only if he satisfies the requirements specified by the relevant faculty or academic unit, as approved by the Senate;
- (e) The Academy may disqualify a student from appearing in an examination or withhold his grade for a module if-
- (i) he has failed to satisfy specific requirements of the relevant faculty or academic unit for admission to the examination or completion of the module; or
 - (ii) he is in debt to the Academy other than through an explicit loan made by the Academy; or
 - (iii) he is so disqualified or his grade so withheld arising from disciplinary proceedings as provided by ordinances, policies and procedures.
- (f) A student who has not been admitted to an examination or whose grade for a module has been withheld shall be deemed to have been failed the examination or module;
- (g) The Senate may, withhold the result of a student in the whole or any part of an examination or module pending the outcome of disciplinary proceedings as provided by the ordinances, policies and procedures;
- (h) The students for the degrees of Doctor of Social Sciences, Doctor of Letters, and Doctor of Science shall be assessed on the basis of their collected published works and the degrees may also be conferred on an honorary basis in accordance with the ordinances, policies and procedures;
- (i) Unless specifically authorised, the work submitted by a student to fulfill the requirements of a degree or diploma must not have been used to fulfill the requirements of another degree or diploma at the Academy or elsewhere;
- (b) The Academy may award a degree or diploma to a student only if-
- (i) he has successfully completed all the requirements for that degree or diploma; and
 - (ii) he is not in debt to the Academy, other than through an explicit loan made by the Academy.
- (j) The Senate may, waive any of the requirements for a degree or diploma or academic award for reasons to be recorded in writing;

- (k) No person shall be deprived of any degree, diploma or academic award except for compelling reasons and on a resolution of the Senate;
- (6) (a) The Academy shall follow continuous evaluation procedure throughout the semester through class tests, quiz, assignment, seminar or presentation on special topic, mid term and end term examinations and other procedure and the course coordinator may decide upon the evaluation procedures depending upon the course being taught;
- (b) End semester examination shall have maximum weightage of forty percent of the assessment marks for a course;
- (c) Depending on the nature of the subject, faculties may opt for open or close book examination;
- (d) For laboratory courses, the students shall submit laboratory reports to the course coordinator and depending on the nature of the laboratory work, the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research may opt for an oral examination at the end;
- (e) The grading system to be followed for coursework shall be as specified in the following Table, namely:-

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)
Sl. No.	Letter Grade	Performance	Numerical Value
1.	A+	Outstanding	10
2.	A	Excellent	9
3.	B+	Very Good	8
4.	B	Good	7
5.	C+	Fair	6
6.	C	Poor	4
7.	F	Very Poor	2
8.	I	Incomplete	0
9.	S	Satisfactory (for Ph.D thesis and audit course)	
10.	X	Unsatisfactory (for Ph.D thesis and audit course)	

Note.- Letter I grade shall be given to a student-

- (i) who has not attended classes;
- (ii) who has not qualified to be evaluated in the examination,

shall repeat the full course.

- (f) The formulae for calculating Semester Grade Point Average and Cumulative Grade Point Average shall be-

Semester Grade Point Average = {Sum of (Course credit × Numerical value of course grade)}

/ Total course credits earned in the semester;

Cumulative Grade Point Average = Cumulative points scored in all passed courses

/ Cumulative credits earned;

- (g) The brief concept of the letter grades:

$$CGPA = \frac{\text{Summation of } C_i G_i}{\text{Summation of } C_i}$$

Note 1.- C_i is credit point and G_i is grade point.

Note 2.- The numerical interpretation of the letter grade has only relation to the calculation of Semester Grade Point Average and Cumulative Grade Point Average and the letter grade cannot be awarded as a fractional number. For example, if an Instructor has awarded B+ grade to a student, then he earns full 8.0 grade point on that course. The grade point cannot be 8.2 or 7.8. The grade point shall be multiplied by

the corresponding credit of the course and then Semester Grade Point Average and Cumulative Grade Point Average shall be calculated based on the formula given above.

Note 3.- The grades have to be within the ranges of A+, A, B+, B, C+ in order to pass the course.

Note 4.- "C" is a fail grade.

Note 5.- The instructor shall draw a histogram based on the performance of the students in the course. Then he shall decide what should be the minimum pass mark for that course. Thereafter, he shall decide on a range (for example, minimum + X marks, X being six or seven or eight marks) and assign that range as C+, the immediate upper range should be assigned a letter grade of B and so on. If the instructor sees that nobody is truly outstanding in the histogram, he need not even award A+ in that course for that particular batch of students. The instructor is free to choose the minimum pass marks, and hence the pass grade is mapped there, depending on the standard of the examinations or assignments and the standard of performance of the students in the course.

Illustration.- While mapping the absolute marks onto the letter grades, the investigator in-charge shall ensure the grade he proposes to award. One student may get 55 or 58 (out of 100) as his or her actual marks, but the onus is on the Instructor to declare whether the student is C+ or C. The instructor has the liberty to declare 58 as C+ and he has to be convinced that the student deserves a C+ grade. Likewise, the investigator in-charge has to assign A+, A and other grade based on the performance of the students in the course.

- (h) A student shall have a Semester Grade Point Average >6.0 in each semester and a Cumulative Grade Point Average >6.5 from second semester onwards for continuation and the minimum grade point to be earned to pass any subject shall be 6.0.
 - (i) The course coordinator shall submit the grades of the students in accordance with the academic calendar.
 - (j) The confidential feedback from the students be obtained for each course for continuous improvement of the programme and the feedback form shall be developed by the respective coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research depending on the course being taught.
- (7) (a) Every M.Tech, M.S (Research) or Ph.D student shall have at least one thesis supervisor from amongst the faculty members of the Academy in the respective laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research and no student shall have more than two supervisors from the same laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research:

Provided that, the Academy may appoint another co-supervisor from outside the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research, if necessary;

- (b) The co-supervisor may be a faculty member of the Academy or not;
- (c) Every laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall evolve modalities for appointment of supervisors keeping in view of the aspirations of the students and the research interest of the faculty;
- (d) For the purposes of evaluation of M.Tech or M.S (Research) thesis work, following procedure shall be followed, namely:-
 - (i) the Director of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall constitute the thesis Oral Examination Board on the recommendation of the thesis supervisor and the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research, for each student;
 - (ii) the Oral Examination Board shall have at least three members, namely:-
 - (a) one examiner from same field of research;
 - (b) one examiner from areas other than the student's field of research; and
 - (c) the thesis supervisor;
 - (iii) the thesis supervisor or coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall act as the convener of the Oral Examination Board;
 - (iv) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall communicate the constitution of the Oral Examination Board to the student;

- (v) The student shall be allowed to submit the thesis two weeks before the completion of the fourth semester with the recommendation of the thesis supervisor;
- (vi) The last allowable date for submission of the thesis shall be fifteen days before the completion of the fourth semester;
- (vii) (a) The student shall submit a copy of the thesis along with abstract of the thesis approximately of two hundred fifty words, prepared in the format specified by the Academy, at least a week before the probable date of oral examination, to the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
- (b) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall forward the copies of the thesis along with abstract of thesis to the Oral Examination Board;
- (viii) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall conduct the oral examination of a student within eight weeks from the date of receipt of report of the thesis from the examiners of the thesis;
- (ix) The student shall present his thesis work physically in an oral examination in the presence of the members of the Oral Examination Board;
- (x) The notification of the oral examination shall be circulated by the thesis supervisor in consultation with the members of the Oral Examination Board;
- (xi) If a student does not appear in the oral examination within the specified time, his programme shall be deemed to have been terminated:
- Provided that the student may request the Chairperson, Senate in writing for his reinstatement in the programme.
- (xii) The Chairperson, Senate shall forward the request for reinstatement in the programme to the Senate for consideration and in case the Senate accepts the request, it shall specify the requirements that the student must fulfill for the award of the degree;
- (xiii) A student shall be deemed to have passed the oral examination if all the members of the Oral Examination Board consider that the performance of the student is satisfactory with the award of grade C+ or above, as specified in the Table below:

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)
Sl. No.	Letter Grade	Performance	Numerical Value
1.	A+	Outstanding	10
2.	A	Excellent	9
3.	B+	Very Good	8
4.	B	Good	7
5.	C+	Fair	6
6.	X	Unsatisfactory	

- (xiv) Based on the presentation and response to the questions raised during the oral examination, the Oral Examination Board may recommend resubmission of the thesis, only once, after incorporating the suggestions made by the Oral Examination Board for evaluation in rescheduled oral examination;
- (xv) If a thesis is rejected along with a recommendation for resubmission after incorporating any modification or correction suggested by the Oral Examination Board, the oral examination of the resubmitted thesis or project shall be conducted by the original Oral Examination Board unless a different Oral Examination Board is approved by the Chairperson, Senate;
- (xvi) In the rescheduled oral examination, the Oral Examination Board shall declare the student either passed or failed and there shall not be any recommendation for the third oral examination;

- (xvii) If the resubmitted thesis is rejected, the same shall be reported to the Senate for taking further course of action;
- (xviii) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall forward the recommendation of the Oral Examination Board to the Dean, who shall forward his recommendation to the Chairperson, Senate for approval of the provisional degree;
- (xix) The Associate Director (Academic) shall award the provisional certificate after successful completion of the oral examination;
- (xx) On ratification in the subsequent meeting of the Senate, the successful student becomes eligible for receiving the degree during the convocation of the Academy.
- (8) For the purposes of evaluation of Ph.D thesis work, following procedure shall be followed, namely:-
- (a) There shall be a Doctoral Advisory Committee for each student to examine the Ph.D thesis work.
- (b) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research, in consultation with the Director of laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research, shall constitute a Doctoral Advisory Committee for each student as soon as the thesis supervisor is assigned with recommendation of Dean and the recommendation is approved by the Chairperson, Senate;
- (c) In addition to the thesis supervisor, the Doctoral Advisory Committee shall have three more members of whom two members from the same research area as recommended by the supervisor and one member nominated by the Director of laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research from different field of research;
- (d) The Doctoral Advisory Committee shall recommend that the academic courses required to be completed by each Ph.D student keeping in view the minimum credits requirement in accordance with the guidelines of the Academy;
- (e) The Doctoral Advisory Committee shall review the progress of the research work on continuous basis and meet at least once in a year and shall advise on the next course of action;
- (f) The Doctoral Advisory Committee may recommend the date for submission of the thesis;
- (g) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall report to the Dean of the details of the Doctoral Advisory Committee and obtain necessary approval from time to time;
- (h) The functions of the Doctoral Advisory Committee and the time frame for carrying out the functions shall be as specified in the following Table, namely:-

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)
Sl. No.	Doctoral Advisory Committee Meeting Number	Functions of Doctoral Advisory Committee	Time frame
1.	(1)	Discussion on the topic of research to be pursued, questions to be addressed and other topics.	Any time before the end of the third semester
2.	(2)	Finalisation of Ph.D proposal	During or within six months of the comprehensive examination
3.	(3)	Monitoring the progress of the student	Before the end of sixth semester
4.	(4)	Ph.D colloquium	Two weeks before submission of thesis

Note.- No two consecutive Doctoral Advisory Committee meetings shall be held within a span of two months.

- (9) (a) A student shall be eligible to appear at the comprehensive examination only after he has successfully completed all course requirements with more than the minimum Cumulative Grade Point Average;
- (b) The comprehensive examination board shall consist of the members of the Doctoral Advisory Committee and the Director of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research or his nominee who has demonstrated ability in guiding students;
- (c) The Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall approve the comprehensive examination board for each student based on the proposal of the supervisor which shall subsequently be informed to the Dean of the concerned faculty and the Academy for updating records;
- (d) A student in consultation with the thesis supervisor shall appear for oral comprehensive examination in between the second and the fourth semester and if the student fails to clear the comprehensive examination in two attempts, his provisional enrolment or registration for Ph.D shall be deemed to have been cancelled:
- Provided that the student shall not be ineligible for M.S (Research) if he is ready to go through the process of M.S (Research).
- (e) The comprehensive examination shall consist of presentation by the student followed by rigorous oral examination;
- (f) The comprehensive examination board may declare the student as “cleared” or “not cleared”;
- (10) A Ph.D student shall present his or her Ph.D proposal in a state-of-the-art open seminar in the presence of Doctoral Advisory Committee within six months after clearing the comprehensive examination;
- (11) (a) Before proceeding to finalise the thesis, each Ph.D student shall deliver a colloquium open to faculty, students and scientists of laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research in which he has been pursuing his research work to obtain comments and criticism which shall be incorporated in his or her thesis;
- (b) A notice of the Ph.D colloquium shall be circulated by the thesis supervisor in consultation with the members of the Doctoral Advisory Committee and the notice of the colloquium shall be displayed on the notice board of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research at least four days in advance;
- (c) The Supervisor of the thesis shall intimate to the concerned Dean or Associate Dean and the Associate Director (Academic) that the Ph.D colloquium has been given, through the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
- (d) The student shall submit the Ph.D thesis to the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research only after the recommendation of the Doctoral Advisory Committee that the student has satisfactorily completed the Ph.D colloquium;
- (e) On recommendation of the Doctoral Advisory Committee, the student shall submit to the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research two paperback copies of the Ph.D synopsis along with the thesis, prepared in a format specified by the Academy and one soft copy on a compact disc;
- (12) (a) A thesis examination board shall first evaluate the Ph.D thesis and thereafter evaluation of Ph.D thesis shall be done by an Oral Examination Board;
- (b) The Dean of the corresponding faculty shall constitute the Ph.D Thesis Examination Board which shall consist of two members in addition to the thesis supervisor;
- (c) The constitution of the Ph.D Thesis Examination Board shall be as per the following procedures, namely:-
- (i) the thesis supervisor shall submit a panel of examiners, which consists of eight experts from the relevant field to the Dean of corresponding faculty through the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research immediately after the Ph.D colloquium;
 - (ii) no examiner shall belong to the same Institute;
 - (iii) the Dean of concerned faculty shall constitute the Thesis Examination Board by assigning serial number in order of preference;
 - (iv) the Dean shall inform the concerned coordinator of the Academy for the corresponding

laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research the list of examiners in order of preference;

- (d) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall contact the first two examiners for their consent to examine the thesis within eight weeks and in case, any of the first two examiners decline to examine, the next examiner on the list may be contacted to examine the thesis;
- (e) On receipt of the acceptance of examinership, a copy of the thesis along with a thesis evaluation form shall be forwarded to each examiner for the report by the examiner;
- (f) When the reports of the examiners are received, the Doctoral Advisory Committee shall recommend the next course of action, that is, recommendation for holding oral examination or rework based on the report of the examiners;
- (g) If one of the examiners rejects the thesis, the same shall be referred to the Dean of the concerned faculty for taking further course of action;
- (h) If two or more examiners reject the thesis, the thesis shall be rejected;
- (i) The Doctoral Advisory Committee may recommend re-submission of the thesis only once after incorporating the suggestions made by the Doctoral Advisory Committee for evaluation;
- (j) On the basis of the report of the thesis examination board, the student shall incorporate all the suggestions and corrections as recommended by the thesis examination board and submit two bound copies of the thesis to the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
- (k) The thesis shall be paperback and printed on both sides of a page to minimise the utilisation of paper;
- (l) The cover of the thesis shall contain the title of the thesis, the name of the student, the name of the supervisor, name of the degree for which the thesis is submitted, logo of the Academy and name of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research where the work was undertaken;
- (m) The names of the members of the Thesis Examination Board shall be kept confidential to the student till successful completion of the oral examination:
 Provided that, on completion of Ph.D. thesis evaluation, the academic section shall forward the names of the members of Ph.D Thesis Examination Board to the thesis supervisor.
- (n) (i) The Director of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall constitute the Ph.D Thesis Oral Examination Board on the recommendation of the thesis supervisor;
 (ii) The Oral Examination Board shall have at least three members present for holding an oral examination, namely, one external member preferably one of the thesis examiners, one from the Doctoral Advisory Committee and the thesis supervisor;
- (o) The Ph.D oral examination shall either be an open examination or may be conducted just in the presence of members of the Oral Examination Board, as the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research deems fit;
- (p) The supervisor or the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall be the convener of the Oral Examination Board and shall fix the date of the oral examination and intimate the date to the Doctoral Advisory Committee;
- (q) If a member of the Oral Examination Board communicates his inability to be present in advance or fails to be present on the specified date and time, the Chairperson, Senate, may appoint a substitute in consultation with the thesis supervisor or the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research, Director of laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
- (r) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall provide every member of the Oral Examination Board a soft copy of the thesis along with the entire technical correspondence with the examiners of thesis at least one week before the date of the oral examination;
- (s) The student may appear at the oral examination electronically, namely, video conferencing, skype, google hangout and other similar modes with prior approval of the Chairperson, Senate;
- (t) The Oral Examination Board shall-

- (i) examine the thesis reports;
 - (ii) examine, if necessary modifications suggested by the examiners of the thesis have been incorporated;
 - (iii) elicit the reply of student to the questions raised by the thesis examiners;
 - (iv) authenticate the work as the student's own;
 - (v) judge if the presentation of the work by the student and the answers to the questions asked have been satisfactory; and
 - (vi) provide a report of the oral examination to the Supervisor through the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research.
- (u) The student shall be deemed to have passed the oral examination, if all the members, except at most one member, consider that the performance of the student is satisfactory;
- (v) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall archive one bound copy of the thesis at the library of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research, and one bound copy of the thesis shall be with the thesis supervisor for record and the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall forward the updated compact disc to the headquarters of the Academy for records;
- (w) If a student has not passed the oral examination, the Oral Examination Board shall specify whether-
- (A) (a) the student may be given another chance to appear in the oral examination and shall specify the approximate date for re-examination;
 - (b) the original Oral Examination Board shall conduct the re-examination, unless a different Oral Examination Board is approved by the Chairperson, Senate;
 - (c) in the re-examination, the Oral Examination Board shall declare whether the student has passed or failed as provided by the Ordinances but shall not recommend for holding a third oral examination.
- (B) the student is declared to have failed;
- (x) The entire process after submission of thesis leading to completion of the oral examination shall be completed within eight to twelve weeks;
- (y) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall forward the complete report of the Oral Examination Board to the Dean, who shall forward his recommendation to the Chairperson, Senate for approval of the provisional degree;
- (z) The Associate Director (Academic) shall award the provisional certificate after successful completion of the oral examination;
- (aa) On ratification in the subsequent meeting of the Senate, the successful student becomes eligible for receiving the degree during the convocation of the Academy.

CHAPTER – VI
CONDITIONS AND MODE OF APPOINTMENT AND DUTIES OF EXAMINING BODIES,
EXAMINERS AND MODERATORS

- 10.** Appointment of Thesis Supervisors for M.Tech, M.S (Research) and Ph.D Students.- (1) A student for M.Tech, M.S (Research) and Ph.D shall not have more than two supervisors at any given time.
- (2) The Thesis supervisor of a student shall be appointed from amongst the faculty members of the Academy at different laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research.
 - (3) If there are joint supervisors, then at least one of the supervisors shall be a faculty member of the Academy.
 - (4) The Academy may under exceptional circumstances appoint other faculty of the Academy of the rank of senior scientist as co-supervisor of the Ph.D students:
Provided that there shall not be more than one co-supervisor for one student at a time.
 - (5) For the purposes of clause (4), the recommendation of a peer group appointed by the Director of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research to which the student belongs may forward the

merit and qualifications of the co-supervisors to the Academy for approval of the Doctoral Advisory Committee or Senate.

- (6) No change or addition of supervisor shall be allowed after the thesis has been submitted.
- (7) In case there has been a change or addition in the supervisors-
 - (a) the M.Tech or M.S (Research) thesis shall not be submitted earlier than three months; and
 - (b) the Ph.D thesis shall not be submitted earlier than six months from the date of such change;

Provided that the Dean of the particular discipline may waive the period for submission of the thesis if he is satisfied that inspite of the change or addition of supervisor, the student is ready for submission of the thesis.
- (8) If the supervisor proceeds on long leave in the case of Ph.D students and on leave for more than three months in the case of M.Tech or M.S (Research)students, the Senate shall appoint a supervisor or a co-supervisor in consultation with the supervisor and the student and if so, the number of supervisors may be more than two, if an external supervisor already exists.
- (9) If a supervisor of a student proceeds on short leave in case of Ph.D students and on leave for not more than three months in case of M.Tech or M.S (Research)students, the Supervisor may authorise one of the members of the Doctoral Advisory Committee of the students to take care of various formalities and the same shall be notified to the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research.
- (10) In case a supervisor resigns or retires or otherwise ceases to be a faculty member of the Academy, the Director of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research may in consultation with the student and the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research appoint a new supervisor or co-supervisor, which shall then be forward by the Dean to the Senate for ratification.

CHAPTER-VII

CONVOCATION, AWARD OF DEGREES, FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS, ETC.

11. Convocation and Award of Degrees.- (1)The convocation of the Academy shall be held once in a calendar year during the month of September.
 - (2) (a)The degrees conferred by the Academy include, but not limited to, the following, namely:-
 - (i) M.Tech;
 - (ii) Ph.D in Science, Engineering or Social Science and Humanities;
 - (iii) Integrated M.Tech-Ph.D in Engineering;
 - (iv) Integrated Ph.D in Science or Engineering;
 - (v) Integrated M.Sc-Ph.D in Science;
 - (vi) M.S by Research in Science and Engineering;
 - (vii) Honours Dual Degree;
 - (viii)Post Graduate Diploma in Finishing School (One or Two year Post Graduate diploma); and
 - (ix) Diploma in areas offering new knowledge (Short term diploma).

Note.- In conferring the degrees, the Academy shall indicate in all official documents the specific discipline or specialisation undertaken or marks of distinction conferred, and the abbreviated name of the degree;
 - (b) The Academy may award graduate diplomas, and in awarding such graduate diplomas, it may indicate in all official documents the specific discipline or specialisation undertaken, and the abbreviated name of the graduate diploma;
 - (c) The Senate shall approve the concurrent degrees, double degrees, joint degrees and joint diplomas for conferment of such degrees or diplomas on any person who has completed all of the requirements for the degrees or diploma;
12. The certificates issued by the Academy include, but not limited to, the following, namely:-
 - (i) Migration Certificate;

- (ii) Authentication Certificate;
- (iii) Character Certificate;
- (iv) Bonafide Certificate;
- (v) Medium of Instruction Certificate;
- (vi) Attendance Certificate;

CHAPTER-VIII

DISCIPLINE, CODE OF CONDUCT AND PENALTY FOR PERSONNEL AND STUDENTS

- 13. Disciplinary and Appellate authority.**- (1) The Director shall be the disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against employees and students of the Academy.
- (2) The Chairperson shall be the appellate authority who shall hear appeals against the order of the disciplinary authority.
- 14. Misconduct by employees and procedure therefor.**- (1) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall apply for enforcing discipline among all permanent, temporary and contractual employees of the Academy, and the procedure for imposing penalty therefor, respectively.
- (2) If any permanent, contractual and temporary employee of the Academy commits any misconduct, he may be-
- (a) terminated from service; or
 - (b) suspended from service; or
 - (c) not provided with an increment; or
 - (d) issued a serious warning; or
 - (e) issued a warning;
- 15. Vigilance Officer.**- (1) The Director may appoint a vigilance officer with the approval of the Chairperson.
- (2) A senior faculty of the Academy, not in any way related to the sensitive matters, namely, appointment, procurement and other matters connected thereto, of the Academy, or a senior person from outside the Council of Scientific and Industrial Research or the Academy system, having considerable experience, may be appointed as vigilance officer.
- (3) The vigilance officer shall oversee the compliance of integrity and ethics by the employees of the Academy, both permanent and temporary who draw salary from the funds of the Academy.
- 16. Conduct of the student in the Academy.**- (1) Every student shall attend lectures, laboratories, workshops, and other academic activities relating to the subject of the course as specified by the Academy, and no student shall remain absent without adequate reasons and prior permission.
- (2) Subject to the provisions of clause (1), if any student was absent, he shall apply in writing to the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research to condone his absence.
- (3) Every student admitted to a course or a research programme shall-
- (i) complete his studies in the Academy; and
 - (ii) not discontinue studies except for compelling reasons and with the prior permission of the corresponding Dean.
- (4) Every student of the Academy shall wear such dress and behave themselves in such manner as may be specified by the Academy from time to time.
- (5) Every student of the Academy shall maintain discipline, including observance of good conduct and orderly behaviour.
- (6) Without prejudice to the generality of the power to maintain and enforce discipline, the following shall amount to acts of indiscipline or misconduct, namely:-
- (a) irregularity of attendance;

- (b) indifference towards work assigned;
 - (c) spreading rumours among the students and giving false publicity misleading fellow students;
 - (d) any act or form of discrimination on the basis of caste, category, religion, race and region;
 - (e) contravention of the provisions of the Statutes, Ordinances, code of conduct and procedures of the Academy;
 - (f) damage or defacement of property belonging to the Academy or its constituent establishments;
 - (g) falsification or misuse of documents or certificates of the Academy or any other documents or certificates in connection with the degrees, examinations or admissions;
 - (h) fraud, dishonesty, impersonation and similar act of misbehaviour;
 - (i) defamation;
 - (j) assaulting of employees or faculty of the Academy;
 - (k) lodging complaints against any personnel of the Academy or student with malicious intention or without reasonable cause;
 - (l) plagiarism or any act relating thereto;
 - (m) disruption or improper interference with the academic activities or administration of the Academy or performance of duties by an employee of the Academy;
- (7) Depending on the gravity of the indiscipline the Academy may take following actions against a student, namely:-
- (a) expulsion from the Academy;
 - (b) rustication from the Academy or hostel for a specified period;
 - (c) suspension from the course of study up to two semester period;
 - (d) depriving a student from seeking-
 - (i) re-admission as a student of the Academy for a period of three years;
 - (ii) admission as a student in any other institutions;
 - (iii) grade card or certificate for the course studied or work carried out by him in the course of study for which he was admitted;
 - (e) withdrawal of degree or diploma or result;
 - (f) recommend the Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research to withdraw the fellowship or scholarship at any time;
 - (g) debarring from appearing in the semester examination;
 - (h) fine not exceeding five thousand rupees;
 - (i) issue of serious warning;
 - (j) issue of warning;
- Provided that no penalty referred to in this ordinance shall be imposed against a student without giving him an opportunity of being heard.
- (8) For the purposes of clause (7), the Academy may conduct inquiry and if necessary, it shall follow the following procedures, namely:-
- (a) call the complainant for hearing and record his deposition;
 - (b) call the student against whom complaint is made for recording his statement;
 - (c) list the witnesses and call them for recording depositions;

- (d) take any evidence from other persons, who were present at the time of alleged incident and had witnessed the incident and record their statements;
 - (e) may conduct cross-examination of the student against whom complaint is made and the complainant;
 - (f) may examine any material evidence, like audio or video tapes or paper documents and such other material which is available.
- (9) The inquiry officer shall prepare a comprehensive report where specific charge against student is framed and issue a show cause notice.
- (10) The inquiry officer shall consider defense of the student against whom complaint is made in the show cause notice.
- (11) The inquiry officer shall prepare a final report and recommend the Director for appropriate penalty.
- (12) On the basis of the recommendation, the Director may award penalty and intimate the same to the student.
- (13) The aggrieved student may appeal against the penalty to the appellate authority.
- (14) Notwithstanding anything contained in clauses (8), (9), and (10), if a student is convicted by a court of law, the Academy may enter the facts of the same in the official records, expel him from the Academy or rustication from the hostel or withdraw the degree or diploma awarded.
- (15) The Academy may exercise disciplinary powers notwithstanding that the person liable to be subjected to disciplinary action has ceased to be a student of the Academy:
- Provided that the circumstances giving rise to the disciplinary proceedings arose while the person was a student of the Academy or in connection with the person's admission to a course of study in the Academy.
- 17. Student's Indiscipline.**- All allegations of indiscipline against a student shall be referred to the Associate Director (Student Affairs) and shall be inquired into by such officials as appointed by the Academy, on the direction of the Director in each case.
- 18. Penalty for ragging and sexual harassment.**- (1) The students of the Academy shall behave themselves in a manner that provides a safe working environment for women.
- (2) No student shall involve in ragging in the Academy or any of laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research, estates, colonies, campus and if any student involves in ragging be expelled from the Academy.
- Provided that no student shall be expelled without giving him an opportunity of being heard.
- (3) A student who involves in any sexual harassment shall be expelled from the Academy after conducting disciplinary proceedings.

[F. No. 6/1/CSIR-AcSIR/2012-13/PPD]

K. R. VAIDHEESWARAN, Jt. Secy.